ई–पत्रावली संख्या–28639

महत्वपूर्ण/नियोजन

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

विषय– **उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग (UKWRMAC) में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञापन विषयक।**

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम'2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–24 वर्ष 2013) के अधीन अधिसूचना संख्या 1737/II–2016/ 17 (19) /2015, दिनांक 08 जुलाई, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग (UKWRMAC) का गठन किया गया है तथा अधिसूचना संख्या 1844/II–2016/17(19)/2015, दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है।

2– आयोग के कियान्वयन एवं संचालन के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु तैयार विज्ञप्ति को 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों Times of India (दिल्ली एवं देहरादून एवं अमर उजाला (All Editions Uttarakhand) में प्रकाशित किया जाना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तैयार विज्ञप्ति को उक्त राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें साथ ही विज्ञापन एवं संगत अधिनियम, अधिसूचनायें आदि भी सिंचाई विभाग की वेवसाईट www.uttarakhandirrigation.com पर भी लोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Hari Chandra
Semwal
Date: 26-12-2022 15:50:01

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(नियोजन अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 6009/प्र० अ०/सिं०नि०/नियोजन अनुभाग/ दिनांक 27 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि अध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग/ अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून को उत्तराखण्ड शासन के उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

26-12-22

... लेखा अधिकारी (नियोजन)
कृ० प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

Generated from eOffice by RANVIR SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 26/12/2022 05:06 PM

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2

संख्या :– **देहरादून** **दिनांक** 26 **दिसम्बर, 2022**

विज्ञप्ति

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम–2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–24, वर्ष 2013) के अधीन उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के 03 पदों (01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्यों) की नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों पर भर्ती से सम्बन्धित विज्ञापन, नियम, शर्ते एवं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/योग्यता का विवरण उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग की वेबसाईट www.uttarakhandirrigation.com पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन का भली–भाँति अवलोकन कर लें। आवेदन पत्र केवल ई–मेल आई.डी.– secretaryirrigationuk92@gmail.com पर दिनांक 15.01.2023 समय सांय 5.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। डाक एवं अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन–पत्रों एवं निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 26-12-2022 15:50:32

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव

Generated from eOffice by RANVIR SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 26/12/2022 05:04 PM

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
ई–पत्रावली संख्या–28639
देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम–2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–24, वर्ष 2013) के अधीन उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू–स्वामियों के बाढ़ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर निर्धारण करने के लिए उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग की स्थापना की गई है। उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक अधिनियम–2013 दिनांक 01.09.2015 से लागू/प्रवृत है। उक्त मूल अधिनियम का संशोधन यथा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक(संशोधन अधिनियम–2016) दिनांक 31.03.2016 से प्रभावी है। उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग की स्थापना दिनांक 08 जुलाई, 2016 से की गयी है। यह आयोग "उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 26(1) में उल्लिखित कार्यों का भी निष्पादन करेगा।
2. **आयोग की स्थापना एवं नियुक्तियाँ :**
उत्तराखण्ड सरकार उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक संशोधन अधिनियम–2016 की धारा 3(4) के अन्तर्गत प्रस्तर–4 में दिये गये विवरण के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना चाहती है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा–6 की उपधारा–1 के अधीन एक चयन समिति का गठन किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा चयन समिति की तरफ से अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
3. **अर्हताः**

3.1 ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा जो निम्नलिखित पात्रता रखते हैं :–

क0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	अर्हता
1	अध्यक्ष	एक	अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखता हो :

Generated from eOffice by RANVIR SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 26/12/2022 05:02 PM
Jamrani-2019-Page No-1
Scanned with OKEN Scanner

2	सदस्य	दो	आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हें इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबन्धन से सम्बन्धित कठिनाई का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने इस कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की हो : परन्तु यह कि ऐसे सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

3.2 अध्यक्ष या कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा/करेगी,

3.3 वह अपने कार्यालय के दौरान कोई अन्य पद धारित नहीं करेगा/करेगी।

3.4 ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय, चयन समिति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचित करेगा :–

(क) निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबन्ध या व्यवस्था का जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम/माध्यम से करता हो :–

(एक) भू–जल अपयोजन, जल वितरण, भू–जल का निकाला जाना या जल सम्भरण।

(दो) जल उद्योग से सम्बन्धित मशीनरी, संयत्र, उपस्कर, उपकरण या साज–सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाडा या उसकी आपूर्ति या उनका संव्यवहार।

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी कारबार के लिये कोई व्यवसायिक सेवायें उपलब्ध कराने वाली कोई ईकाई।

(ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसा कि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।

3.5 अध्यक्ष एवं सदस्य की पदावधि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम 2013 की धारा–7 के अनुसार होगी।

4. निम्नलिखित अभिलेखों सहित आवेदन पत्र सचिव, सिंचाई उत्तराखण्ड सरकार तथा पदेन सदस्य सचिव, चयन समिति उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के नाम संबोधित किया जायेगा।

4.1 बायोडाटा में निम्न विवरण दिया जायेगा।

(क) नाम

(ख) जन्म स्थान, जन्म तिथि और अधिनियम प्रवृत्त होने की तिथि को आयु।

(ग) वर्तमान में धारित पद या सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद या अन्य।

(घ) शैक्षिक योग्यता और अनुभव।

(ङ) पूर्व में धारित पदों का विवरण।

(च) पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष संख्या/मोबाईल नं0/ई–मेल

4.2 यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति किये जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी,

Generated from eOffice by RANVIR SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 26/12/2022 05:02 PM
Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।

4.3 किसी कार्यालय नियोजन या परामर्शदात्री अनुबन्ध या व्यवस्था जो सतही जल अपयोजना, जल वितरण, भू–जल का निकाला जाना या सम्भरण जल उद्योग से सम्बन्धित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या साज–सज्जों का विनिर्माण, विकय, पट्टा, भाडा या उनकी आपूर्ति या उनका समव्यवहार आदि जो उसके या उसके किसी नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या किसी फर्म के नियंत्रण में हो का विस्तृत विवरण पत्र द्वारा देना होगा।

1. उपरोक्त निर्दिष्ट विस्तृत विवरण एवं बायोडाटा के साथ सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित आवेदन–पत्र ई– मेल आई0डी0 secretaryirrigationuk92@gmail.com पर दिनांक 15.01.2023 समय सांय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। डाक एवं अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन–पत्रों एवं निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 26-12-2022 15:51:03

सचिव, सिंचाई,
उत्तराखण्ड शासन,

Generated from eOffice by RANVIR SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 26/12/2022 05:02 PM
Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 संख्या 2013]

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–1	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	2
2.	परिभाषाएं	2–3
	अध्याय–2	
	प्रस्तावना	
3.	सामान्य	3
	अध्याय–3	
	जल विद्युत उत्पादन इकाई के स्थापन द्वारा जल का उपयोग	
4.	जल के उपयोग हेतु योजना का संस्थापन	3–4
5.	उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का जमा किया जाना	4
6.	योजना की स्वीकारोक्ति	4
7.	उपयोगकर्ता को सूचना	4
8.	योजना के संस्थापन का निषेध	4
9.	जल के उपयोग हेतु पंजीकरण	4
10.	रजिस्ट्रीकृत प्रमाण–पत्र प्रदान करना	4
11.	रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता हेतु कुछ निषेध	5
12.	रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, दायित्व और उत्तरदायित्व	5
13.	नियंत्रण एवं सुरक्षा प्राविधान	5–6
	अध्याय–4	
	उपयोगकर्ता द्वारा लिए जाने वाले जल का निर्धारण	
14.	उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल का निर्धारण	6
15.	प्रवाह मापन उपकरण या किसी अन्य फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना	6
16.	जल प्रवाह मापन के उपकरणों में धोखाधड़ी	6–7
	अध्याय–5	
	जल कर	
17.	जल कर का नियतन	7
18.	जल कर की वसूली	7
19.	निर्धारण हेतु प्रक्रिया	7

1	2	3
	अध्याय—6	
	विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए उत्तराखण्ड राज्य आयोग	
20.	आयोग की स्थापना	7—8
21.	आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं	8—9
22.	सर्च समिति का गठन	9
23.	पद की अवधि और सेवा की शर्तें	9—10
24.	अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाया जाना	10—11
25.	आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी	11
26.	आयोग के कृत्य	11
27.	आयोग की शक्तियां	12
28.	आयोग के समक्ष प्रक्रिया	12
29.	प्रवेश और जब्त करने की शक्ति	12
30.	प्रतिनिधायन	13
31.	उच्च न्यायालय को अपील	13
32.	आयोग के निर्देशों की अवज्ञा के लिए दण्ड	13
33.	न्याय निर्णयन की शक्ति	13—14
34.	न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक	14
35.	अन्य दायित्वों पर दण्ड प्रभावहीन	14
36.	सरकार द्वारा अनुदान और ऋण	14
37.	सरकार द्वारा निधि की स्थापना	14—15
38.	आयोग के लेखे	15
39.	आयोग की वार्षिक रिपोर्ट	15
40.	आयोग का बजट	15
41.	सरकार द्वारा निर्देश	15—16
42.	सद्भाव में की गई कार्यवाही का संरक्षण	16
43.	सदस्य, अधिकारी इत्यादि जन सेवक होंगे	16
44.	अधिनियम के उपबन्ध अन्य विधियों के अतिरिक्त है न कि उनके अलपीकरण में	16
45.	सरकार की नियम बनाने की शक्ति	16—17
46.	आयोग की विनियम बनाने की शक्तियाँ	17
47.	नियमों और विनियमों को विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना	17
48.	कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति	17

THE UTTARAKHAND WATER TAX ON ELECTRICITY GENERATION ACT, 2012

[UTTARAKHAND ACT NO. 09 OF 2013]

INDEX

Sections	Particular	Page No.
1	2	3
	CHAPTER 1	
	PRELIMINARY	
1.	Short Title, Extent and Commencement	18
2.	Definitions	18-19
	CHAPTER 2	
	INTRODUCTION	
3.	General	19-20
	CHAPTER 3	
	USAGE OF WATER BY INSTALLATION OF HYDROELECTRIC GENERATING UNIT	
4.	Installation of Scheme for usage of water	20
5.	Submission of Sanctioned Scheme for usage of water by the user	20
6.	Acceptance of the Scheme	20
7.	Information to the User	20
8.	Prohibition on installation of a Scheme	20
9.	Registration for usage of water	21
10.	Grant of Registration Certificate	21
11.	Registered User not to do certain things	21
12.	Duties, obligations and responsibilities of the Registered User	21
13.	Control and safety provisions	22
	CHAPTER 4	
	ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER	
14.	Assessment of water drawn by user	22
15.	Injuring the flow measuring device or any fitting	22
16.	Fraud in respect of flow measuring devices	23
	CHAPTER 5	
	WATER TAX	
17.	Fixation of water Tax	23
18.	Recovery of water Tax	23
19.	Procedure for assessment	23

1	2	3

CHAPTER 6

STATE COMMISSION FOR WATER TAX ON ELECTRICITY GENERATION

20.	Establishment of Commission	23-24
21.	Qualifications for appointment of Chairperson and Members of the Commission	24-25
22.	Constitution of a search Committee	25
23.	Term of Office and Conditions of Service	26-27
24.	Removal of Chairperson or Member	27
25.	Officers and other Employees of the Commission	27
26.	Functions of the Commission	28
27.	Powers of the Commission	28
28.	Proceedings before Commission	28
29.	Power of entry and seizure	29
30.	Delegation	29
31.	Appeal to High Court	29
32.	Penalty for non-compliance of directions of Commission	29-30
33.	Power to adjudicate	30
34.	Factors to be taken in to account by adjudicating officer	30
35.	Penalty not to effect other liabilities	31
36.	Grants and loans by the Government	31
37.	Establishment of fund by the Government	31
38.	Accounts of Commission	31
39.	Annual Report of the Commission	32
40.	Budget of the Commission	32
41.	Directions by the Government	32
42.	Protection of action taken in good faith	32
43.	Members, officers etc. to be public servants	32
44.	Provisions of the act to be in addition to and not in derogation of other laws	32
45.	Powers of Government to make rules	33
46.	Powers of commission to make regulations	33
47.	Rules and regulations to be laid before the State legislature	34
48.	Power to remove difficulties	34

क्रम संख्या–11

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 32 / XXXVI(3) / 2013 / 67(1) / 2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012'** पर दिनांक 25 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 संख्या 2013}

विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिरोपित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय —1

सामान्य

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

(4) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में कोई बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होगें।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) **''अधिनियम''** से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है ;

(ख) **''आयोग''** से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(ग) **''विद्युत''** से राज्य की सीमान्तर्गत बहने वाले जल से विद्युत उत्पादन अभिप्रेत है;

(घ) **''सरकार''** से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) **''अधिसूचना''** से राज्य के राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना के अभिप्रेत है और पद ''अधिसूचित'' तद्नुसार किया जायेगा;

(च) **''उपयोगकर्ता''** से विद्युत के उत्पादन के लिये किसी स्रोत से जल लेने की सुविधा के उपभोग को इस अधिनियम के अध्याय दो के अधीन जल लेने वाले अथवा अन्य कोई प्राधिकृत प्राधिकारी के ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के

समूह, स्थानीय निकाय, राजकीय विभाग, कम्पनी, निगम, सोसाइटी इत्यादि अभिप्रेत है,

(छ) **"जल"** से प्राकृतिक संसाधन यथा नदी, धारा, नहर, नाला या अन्य स्रोत, जिसमें प्राकृतिक रूप से जल का प्रवाह होता हो या तालाब, झील, दलदल, झरना आदि अभिप्रेत है;

(ज) **"जल स्रोत"** से नदी, सहायक नदी, जल धारा, नाला, नहर, झरना, तालाब, झील या अन्य स्रोत अभिप्रेत है, जिससे विद्युत उत्पादन हेतु जल उपलब्ध होता है;

(झ) **"जल कर"** से इस अधिनियम के अधीन नियत और विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने हेतु अधिरोपित दर अथवा अधिभार अभिप्रेत है।

अध्याय – 2

प्रस्तावना

सामान्य

3\. (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये राज्य में अवस्थित प्रत्येक जल स्रोत राज्य की सम्पति है और किसी व्यक्ति, व्यक्ति समूह या अन्य निकाय, निगम, कंपनी, सोसायटी या समुदाय में निहित ऐसे जल संसाधनों पर कोई तट स्वामित्व या उपयोग का अधिकार, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से समाप्त करते हुए सरकार में निहित समझा जायेगा। तथापि, अन्तर्राज्यीय स्वभाव की नदियों और अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के दायरे में आने वाली नदियों के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार का अधिकार जल के गैर क्षयशील उपयोग तक सीमित रहेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कंपनी, सोसायटी या अन्य निकाय, सिवाय अधिनियम के उपबंधो के अनुसार किसी अन्य प्रकार से विद्युत उत्पादन हेतु जल का उपयोग नहीं करेगा।

अध्याय – 3

जल विद्युत उत्पादन इकाई के स्थापन द्वारा जल का उपयोग

जल के उपयोग हेतु योजना का संस्थापन

4\. कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कम्पनी, सोसाइटी या अन्य निकाय, चाहे वह किसी नाम से जाना जाय (जिसे आगे अध्याय में "उपयोगकर्ता" कहा गया है) इस अध्याय में आगे उपबंधित प्राविधानों के अनुसरण में आयोग के अधीन पंजीकृत के सिवाय

किसी अन्य प्रकार से विद्युत उत्पादन हेतु किसी जल स्रोत के जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) के लिये आवश्यक योजना संस्थापित नहीं करेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का जमा किया जाना

5. कोई उपयोगकर्ता, जो विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपायोग) की आवश्यकता के लिये योजना संस्थापित करना चाहता हो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत, योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करेगा जिसके साथ पंजीकरण हेतु आयोग द्वारा नियत शुल्क और अधिभार संलग्न किया जायेगा।

योजना की स्वीकारोक्ति

6. किसी उपयोगकर्ता से योजना प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् आयोग अधिनियम के अधीन योजना को स्वीकार किये जाने के लिये विचार करेगा।

उपयोगकर्ता को सूचना

7. धारा 6 के अधीन जल आयोग द्वारा योजना स्वीकार कर लेने के पश्चात् आयोग योजना को पंजीकृत करेगा और उपयोगकर्ता को सूचित करेगा कि वह—

(क) निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से आयोग के साथ करार करें, और

(ख) अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन निर्धारित शुल्क और जल कर का भुगतान करें।

योजना के संस्थापन का निषेध

8. धारा 10 की अपेक्षाओं का पालन किये बिना जल के उपयोग आवश्यकता हेतु कोई उपयोगकर्ता योजना संस्थापित नहीं करेगा।

जल के उपयोग हेतु पंजीकरण

9. कोई व्यक्ति जल का अपेक्षित उपयोग अथवा जल का किसी अन्य रीति से उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु इसके लिये प्राधिकृत न हो।

रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र प्रदान करना

10. विद्युत उत्पादन हेतु जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) के इच्छुक व्यक्ति को अधिनियम के अधीन उपयोगकर्ता और आयोग के मध्य करार हो जाने के पश्चात् एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता हेतु कुछ निषेध

11. कोई भी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता राज्य जल आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना–

(क) किसी अन्य उपयोगकर्ता की कंपनी को कय द्वारा अधिग्रहीत करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिये लेनदेन नहीं करेगा; या

(ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, दायित्व और उत्तरदायित्व

12. (1) रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता अधिनियम के उपबंधो के अनसार विद्युत उत्पादन के लिये जल के उपयोग हेतु जल कर का भुगतान करने का दायी होगां

(2) जहां अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किसी उपयोगकर्ता ने जल विद्युत योजना का निर्माण किया है वहां ऐसा उपयोगकर्ता, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथ से छः माह के भीतर, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा तथा आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकरण करने के लिये आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उपयोगकर्ता, उपधारा (2) में उल्लिखित आवेदन करने में या नियत समय में रजिस्ट्रीकरण में विफल रहता है तो आयोग तत्काल उपयुक्त दंड अधिरोपित करेगा जिसे निरन्तर चूक होने पर बढ़ाया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, योजना के प्रचालन के अधीन क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता किसी भी समय योजना क्षेत्र के भीतर प्रवेश हेतु प्राधिकारी या अन्य अधिकारियों को उनकी संतुष्टि हेतु अनुमति देने के लिये आबद्ध होगा।

नियंत्रण और सुरक्षा प्रावधान

13. (1) आयोग, उपयोगकर्ता को लिखित नोटिस दे कर अपेक्षा कर सकता है कि वह–

(क) आयोग की संतुष्टि हेतु प्रकिया के अनुसार तथा आयोग द्वारा योजना हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तराल में, एक विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण करवाये।

(2) उपयोगकर्ता निम्नलिखित कार्यकलापों के संचालन हेतु आयोग द्वारा इस निमित्त निर्धारित शुल्क व अन्य प्रभारों का आयोग को भुगतान करेगा–

(क) आयोग का इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी का विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण;

(ख) उपयोगकर्ता की योजना के संबंध में इस धारा के अधीन आयोग द्वारा निष्पादित या निष्पादित करवाये जाने के लिये कोई अन्य कियाकलाप।

अध्याय – 4

उपयोगकर्ता द्वारा लिए जाने वाले जल का निर्धारण

उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले जल का निर्धारण

14. (1) आयोग योजना के परिक्षेत्र के भीतर या विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग के जल के मापन के उद्देश्य से आयोग जहां उचित समझें, प्रवाह मापन उपकरण संस्थापित करेगा या करायेगा या उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किये गये जल के निर्धारण हेतु कोई अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकेगा।

(2) आयोग, उपयोगकर्ता के परिक्षेत्र में या उसके स्थल पर या आयोग द्वारा निर्देशित स्थान पर आयोग द्वारा अनुमोदित विशिष्टिताओं के अनुरूप प्रवाह मापन उपकरण लगवायेगा या उपयोगकर्ता से लगवायेगा तथा इसके पश्चात् उस उपयोगकर्ता द्वारा इसके लिये किये गये व्यय को उपयोगकर्ता द्वारा देय जल कर में समायोजन किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

प्रवाह मापन उपकरण या किसी अन्य फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना

15. कोई भी व्यक्ति उपकरण या उपकरण की किसी फिटिंग को जानबूझकर कर क्षतिग्रस्त नही करेगा या करायेगा।

जल प्रवाह मापन के उपकरणों में धोखाधड़ी

16. कोई भी व्यक्ति कपट पूर्वक या बेईमानी से–

(क) प्रवाह मापन उपकरण के सूचकांक में परिवर्तन नहीं करेगा या आपूर्ति किये गये जल की वास्तविक मात्रा को रिकार्ड करने से नहीं रोकेगा;

(ख) रिकार्ड करने के उद्देश्य से लगाये गये मापन उपकरण द्वारा रिकार्ड किये जाने से पहले जल प्राप्त नहीं करेगा;

(ग) मापन उपकरण से छेड़छाड़ नहीं करेगा या छेड़छाड़ किये गये उपकरण को संस्थापित नहीं करेगा; या

(घ) किसी ऐसे अन्य उपकरण या तरीके का उपयोग नहीं करेगा जो आपूर्ति किये गये जल के सही व उचित अंकन, अंश शोधन या मीटरिंग में व्यवधान डालता हो।

अध्याय – 5

जल कर

जल कर का नियतन

17. (1) उपयोगकर्ता ऐसी दर से जैसा सरकार इस हेतु अधिसूचना द्वारा नियत करें, जल कर का भुगतान किये जाने हेतु दायी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्धारित जल कर की राज्य सरकार समय–समय पर जैसा वह उचित समझे इस धारा के अधीन नियत जलकर की दरों को परिवर्धित, बढ़ा, घटा अथवा अन्तर कर सकेगी।

जल कर की वसूली

18. विद्युत उत्पाद्रन के लिये उपयोगकर्ता जब कभी जल निकाला जायेगा, आयोग द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जल कर की वसूली की जायेगी।

निर्धारण हेतु प्रकिया

19. (1) विद्युत उत्पादन के लिये उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गये जल का निर्धारण और उसके जल कर की संगणना आयोग द्वारा की जायेगी।

(2) उपयोगकर्ता, राज्य जल आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन निर्धारित रूप में जल कर का भुगतान करेगा।

(3) यदि कोई उपयोगकर्ता, उस पर देय जल कर का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस पर राज्य जल आयोग द्वारा अवधारित किये अनुसार दंड अधिरोपित किया जायेगा। उपयोगकर्ता को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर जल कर के साथ दंड का भुगतान करना होगा। यदि उपयोगकर्ता विस्तारित अवधि के भीतर जल कर के साथ दंड का भुगतान करने में पुनः विफल रहता है तो देयों की वसूली संबधित जिले के जिला कलेक्टर के माध्यम से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अध्याय – 6

विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए उत्तराखण्ड राज्य आयोग

आयोग की स्थापना

20. (1) सरकार, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से तीन माह के भीतर, अधिसूचना जारी कर अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और

कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिये विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए राज्य आयोग ज्ञात नाम से एक आयोग की स्थापना कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन आयोग की स्थापना होने तक प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, अधिनियम के अधीन आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा। जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, इसके पास चल व अचल संपत्ति दोनों के प्राप्त करने, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा इस नाम से वाद लाया या चलाया जा सकेगा।

(3) आयोग का मुख्य कार्यालय उस स्थान पर होगा जिस पर अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निश्चित करें।

(4) राज्य जल आयोग में एक अध्यक्ष और निर्धारित किये अनुसार अधिकतम दो सदस्य होंगे।

(5) राज्य जल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में संदर्भित चयन समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

21. (1) अध्यक्ष की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी, जो राज्य सरकार में सचिव या उससे उच्च पद पर कार्यरत हैं या रहे हैं तथा जिन्हे इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या जिन्होंने इन समस्याओं से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है।

(2) आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हे इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित कठिनाई का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या जिन्होंने इन कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है :

परन्तु यह कि इन व्यक्तियों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव प्राप्त हो,

नियुक्त किया जायेगा;

(3) आयोग का अध्यक्ष या इसके सदस्य कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे।

(4) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा।

सर्च समिति का गठन

22. (1) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के उद्देश्य से, सरकार एक तलाश समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित से संरचित होगी :—

(क)	मुख्य सचिव	— अध्यक्ष
(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	— सदस्य
(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन	— सदस्य
(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	— सदस्य
(ङ)	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि, उत्तराखण्ड शासन	—सदस्य।

(2) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य के निधन, इस्तीफे या हटाये जाने के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर तथा अध्यक्ष या किसी सदस्य के अवकाश प्राप्ति या कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पूर्व, रिक्ति को भरने के लिये सर्च समिति को निर्देश देगी।

(3) सर्च समिति, निर्देश प्राप्त करने की तिथि से दो माह भीतर अध्यक्ष या सदस्यों का चयन पूर्ण करेगी।

(4) अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति की संस्तुति करने से पूर्व चयन समिति अपनी संतुष्टि करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वितीय या अन्य हित नहीं है, जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उस के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

पद की अवधि और सेवा की शर्तें

23. (1) अध्यक्ष और सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेंगे :

परन्तु यह कि अध्यक्ष या कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे :

परन्तु यह और की सरकार किसी भी समय लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर देकर अध्यक्ष अथवा सदस्य को तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व यथास्थिति

कार्यावधि निर्धारित कर सकती है :

परन्तु यह भी कि सरकार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य थे जिनकी प्रस्तावित कार्यावधि आदेश द्वारा निर्धारित कर दी गई है, के आदेश को निलम्बित कर सकती है, अथवा यदि सरकार की राय में अध्यक्ष अथवा सदस्य को निलम्बित करने के पर्याप्त और साम्य आधार है।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय :

परन्तु यह कि अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भते तथा सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जा सकेगें।

(3) अपने पद में प्रवेश से पूर्व अध्यक्ष और सदस्य ऐसे निर्धारित प्ररूप पर तथा ऐसी रीति से ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जैसा विहित किया जाय।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य न्यूनतम तीन माह का नोटिस सरकार को लिखित में दे कर अपना पद त्याग सकते है।

(5) इस पद पर न बने रहने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य–

(क) उस पद को धारण करना बंद करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये योग्य नही होगा; और

(ख) ऐसे पद को धारण करना बंद करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु कोई वणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाया जाना

24. (1) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है, यदि वह–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोष हो; या

(ग) इस रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिये हों जो कि प्राधिकार में उसनें कार्य करने में प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हों; या

(2) जहाँ यह प्रश्न आता हो कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से उपयुक्त न हो अथवा आयोग के कृत्यों में उसका कोई वित्तीय लाभ या अन्य हित निहित हेतु इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसका आदेश अन्तिम होगा।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

25. (1) आयोग का एक सचिव होगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो इस हेतु विहित की जायें।

(2) सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) अपने कार्यो के निष्पादन में आयोग को सहायता करने के लिये आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, स्वभाव और श्रेणियों, निर्धारित किये अनुसार होंगे।

(4) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते, निर्धारित किये अनुसार होंगी।

(5) आयोग निर्धारित की गई शर्तो और निबंधनो पर आयोग के कार्यो में निष्पादन में उसको सहायता करने के लिये, उपयोगकर्ताओ द्वारा लिये गये जल के निर्धारण और अन्य तकनीकी क्रियाकलापों के लिये इन्जीनियर्स तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति करेगा।

आयोग के कृत्य

26. राज्य जल आयोग निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन करेगा; अर्थात् :-

(क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशो का प्रवर्त्तन करना;

(ख) जल कर के संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करना;

(ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वाह करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(घ) विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये जल के प्रर्वतन, नियन्त्रण और मापन हेतु प्रणाली की स्थापना करना;

(ङ) सरकार द्वारा उस को सौंपे गये या निर्धारित किये गये अन्य कार्यो का निष्पादन करना।

आयोग की शक्तियाँ

27. (1) अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या कोई कार्यवाही आरम्भ करने के प्रायोजन हेतु आयोग के पास वे ही शक्तियां होगी जो कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है; अर्थात् :-

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ की खोज और प्रस्तुति;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा;

(ङ) साथियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;

(च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;

(छ) कोई अन्य मामला, जो निर्धारित किया जाये।

(2) आयोग के पास उसके समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में जैसा वह उचित समझे वैसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में जिसे उचित समझे ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

आयोग के समक्ष प्रकिया

28. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को न्यायिक-कल्प कार्यवाहियां माना जायेगा तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन प्रसाशन के आप्राधिक प्रभाव के प्रयोजनों हेतु आयोग को सिविल न्यायालय माना जायेगा।

प्रवेश और जब्त करने की शक्ति

29. आयोग या कोई अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी से नीचे के पद का न हो तथा जिसे आयोग द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, ऐसे किसी स्थान पर भवन में प्रवेश कर सकता है, जहां आयोग के पास वउ विश्वास करने का कारण हो कि जांच के मामले के विषय से संबंधित दस्तावेज पाया जा सकता है तथा ऐसे किसी दस्तावेज को वह अभिग्रहित कर सकता है या भारतीय दंड संहिता के प्राविधानों के अधीन उसकी प्रतियां निकाल सकता है।

प्रतिनिधायन 30. आयोग, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्ते, यदि कोई है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, के अधीन अध्यक्ष, किसी सदस्य, सचिव आयोग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन विवादों के न्याय–निर्णय की शक्तियों को छोड़ कर को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

उच्च न्यायालय को अपील 31. (1) आयोग किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायलय में अपील योजित नही है।

(2) ऐसे व्यक्ति को ऐसे निर्णय या आदेश द्वारा उस को आयोग के निर्णय या आदेश के संप्रेषण की तिथि से नब्बे दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन अपील करनी होगी।

आयोग के निर्देशों की अवज्ञा के लिए दण्ड 32. यदि आयोग के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत होती है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन कर रहा है अथवा आयोग को उसके द्वारा जारी कोई निर्देश अथवा अधिनियम, नियम अथवा विनियोगों के उपबन्धों का उल्लघंन करने की सन्तुष्टि हो जाती है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की समुचित अवसर देते हुए लिखित में आदेश द्वारा किसी अन्य दण्ड के प्रभावित हुए बिना इस अधिनियम के अधीन दण्ड के लिए दायी होगा और ऐसा व्यक्ति दण्ड के रूप में ऐसी राशि को जैसा आयोग द्वारा प्रत्येक उल्लघंन के लिए निर्धारित किया जाय, भुगतान के लिए दायी होगा और ऐसे दण्ड के भुगतान करने तक असफलता के लिए प्रत्येक दिन हेतु आयोग अधिनियम लगा सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

न्याय निर्णयन की शक्ति 33. (1) अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय के प्रयोजन से राज्य जल आयोग संबंधित व्यक्ति को दंड के अधिरोपण के प्रयोजन से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् निर्धारित तरीके से जांच करने के लिये अपने किसी सदस्य को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) जांच करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के पास ऐसे साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये उस मामले व उसके तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को बुलाने और हाजिर करने की शक्ति होगी जो साक्ष्य न्याय

निर्णायक अधिकारी की राय में जांच के मामीले में उपयोगी अथवा सुसंगत हो सकते है, तथा यदि ऐसी जांच में वह इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में विफल रहा है तो वह ऐसा दंड अधिरोपित कर सकता है, जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वह उचित समझे।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश से व्यथित है ऐसे आदेश के उपान्तरण या विखण्डन हेतु राज्य जल आयोग के समक्ष, आदेश तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है :

परन्तु यह कि आयोग यथास्थिति अन्य पक्ष या पक्षों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक

34\. धारा 35 के अधीन दंड की मात्रा अधिनिर्णीत करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कारकों का उचित रूप से ध्यान रखेगा :–

(क) चूक के परिणाम स्वरूप जहां कहीं मात्रात्मक हो वहां गैर आनुपातिक प्राप्ति या अनुचित लाभ की राशि;

(ख) चूक का पुनरावृत्ति स्वभाव।

अन्य दायित्वों पर दंड प्रभावहीन

35\. अधिनियम के अधीन अधिरोपित दंड, प्रतिपूर्ति के भुगतान या उपयोगकर्ता के मामले में उसके पंजीकरण का प्रतिसंहरण जो कि अपराधी को हुआ हो, को संबंध में कोई अल्पीकरण न हो कर दायित्व के अतिरिक्त होंगे।

सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

36\. अनुदान, निधियां, लेखे, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त किये गये उचित विनियोग के पश्चात् सरकार आयोग को उतनी राशि के अनुदान और ऋण प्रदान कर सकती है जितनी सरकार उचित समझे।

सरकार द्वारा निधि की स्थापना

37\. (1) एक निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम आयोग निधि होगा निम्नलिखित राशियों को जमा किया जायेगा :–

(क) सरकार द्वारा आयोग को दिये गये कोई अनुदान और ऋण;

(ख) अधिनियम आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से राज्य जल आयोग द्वारा प्राप्त सभी

राशियां;

(2) इस निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिये किया जायेगा:—

(क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

(ख) अधिनियम के अधीन अपने कार्यो के निष्पादन हेतु आयोग के व्यय;

(ग) वस्तुओं तथा अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों पर व्यय।

(3) सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श कर उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिये निधि को लागू करने का तरीका निर्धारित कर सकती है।

आयोग के लेखे

38. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा लेखे के वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसे विहित किया जाय।

(2) आयोग के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र सरकार को अग्रेषित किये जायेगें और राज्य सरकार इसे प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

39. (1) आयोग वर्ष में एक बार निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित समय पर पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापो का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को प्रेषित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति यथा शीघ्र संभव हो, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी।

आयोग का बजट

40. आयोग प्रत्येक वित्त वर्ष में अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित समय पर तैयार करेगा, जिसमें आयोग को अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे तथा इसे सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

सरकार द्वारा निर्देश

41. (1) अपने कार्य के निष्पादन हेतु राज्य जल आयोग को जनहित के नीति संबंधी मामलों पर समय–समय पर सरकार द्वारा लिखित में दिशा निर्देश दिये जायेंगे।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या किसी दिशा निर्देश में जनहित से

संबंधित मामला है या नही तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

सदभाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण

42. अधिनियम, नियमों या विनियमों के अधीन तात्पार्यित सदभाव में किये गये किसी कार्य के विरूद्ध सरकार या आयोग या सरकार के किसी अधिकारी या आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या जन सेवन पर कोई वाद, अभियोजन या कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

सदस्य, अधिकारी इत्यादि जन सेवक होंगे

43. आयोग का अध्यक्ष, इसके सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अधिनियम के किन्हीं उपबंधो के अनुसरण में कार्य करते हुए या तात्पर्यित कार्य करते हुए भारतीय दंड सहिंता 1860 के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे।

अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों के अतिरिक्त है न कि उनके अल्पीकरण में

44. इस अधिन्रियम के उपबंध राज्य में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त है न कि उसके अल्पीकरण में।

सरकार की नियम बनाने की शक्ति

45. (1) अधिनियम के उपबंधो को लागू करने के लिये सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी मामले में उपबंध कर सकेंगे :—

(क) वह प्रपत्र और तरीका, जिसमें धारा 7 के खण्ड (ख) के अधीन करार निष्पादित किया जाना है;

(ख) आवेदन का प्रपत्र व तरीका और धारा 10 के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिये भुगतान किये जाने वाला शुल्क;

(ग) धारा 23 के अधीन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्ते;

(घ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन वह प्रपत्र और तरीका तथा वह प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत व समक्ष अध्यक्ष और सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्य;

(च) धारा 25 के उपधारा (2) के अधीन राज्य जल आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का संख्या, स्वभाव और श्रेणियां;

(छ) धारा 25 के उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें;

(ज) धारा 40 के उपधारा (3) के अधीन आयोग निधि को लागू करने का तरीका; और

(झ) कोई अन्य मामला, जो आवश्यक है या निर्धारित किया जाना है।

आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां

46. (1) राज्य जल आयोग सामान्य रूप से अधिनियम के प्रावधानो को लागू करने के लिये अधिसूचना द्वारा अधिनियम से संगत विनियम बना सकते है।

(2) अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

नियमों और विनियमों को विधान मंडल के समक्ष रखा जाना

47. शासन द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम इसके बनने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

48. (1) यदि अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार शासकीय गजट में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्राविधान निर्मित कर सकती, है जो अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत होते है :

परन्तु यह कि अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश इस निर्माण के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,

प्रमुख सचिव।

No. 32/XXXVI(3)/2013/67(1)/2012
Dated Dehradun, January 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Water Tax On Electricity Generation Act, 2012'** (Adhiniyam Sankhya 09 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25 January, 2013.

THE UTTARAKHNAD WATER TAX ON ELECTRICITY GENERATION ACT, 2012
[UTTARAKHAND ACT NO. 09 OF 2013]

to levy water tax on electricity generation in the State of Uttarakhand

An
Act

be it enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly as follows:-

CHAPTER-1
PRELIMINARY

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation Act, 2012.

(2) It extends to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force from such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint.

(4) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other law for the time being in force.

Definitions

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) "Act" means the Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation Act, 2012;

(b) **"Commission"** means Uttarakhand State Commission for Water Tax on Electricity Generation established under section 21 of the Act;

(c) **"Electricity"** means electrical energy generated by way of water drawn from any water source flowing within the territory of the State;

(d) **"Government"** means Government of Uttarakhand;

(e) **"Notification"** means a notification published in the Gazette of the State, and the term "notify" shall be construed accordingly;

(f) **"User"** means any person, group of persons, local body, Government Department, company, corporation, society etc. drawing water or any other authority authorized under chapter -II of the Act to avail the facility to draw water from any source for generation of electricity;

(g) **"Water"** means natural resource flowing in any river, stream, tributary, canal, nallah or any other natural course of water or stipulated upon the surface of any land like, pond, lagoon, swamp, spring;

(h) **"Water Source"** means a river and its tributaries, stream, nallah, canal, spring, pond, lake, water course or any other source from which water is drawn to generate electricity;

(i) **"Water Tax"** means the rate levied or charged for water drawn for generation of electricity and fixed under this Act.

CHAPTER–2
INTRODUCTION

General

3. (1) For the purpose of this Act, every water source in the State is, and shall remain, the property of the Government and any proprietary ownership, or any riparian or usage right, on such water resources vested in any individual, group of individuals or any other body, corporation, company, society or community shall, from the date of commencement of the Act, be deemed to have been terminated and vested with the Government. However, for rivers of interstate nature and rivers under the ambit of international treaties, the ownership right of Uttarakhand Government shall be limited to non-consumptive use of water.

(2) No person, group of persons, Government department, local authority, corporation, company, society or any other body shall draw water from any source for electricity generation except in accordance with the provisions of the Act.

CHAPTER–3
USAGE OF WATER BY INSTALLATION OF HYDROELECTRIC GENERATING UNIT

Installation of Scheme for usage of water

4. No person, group of persons, Government department, local authority, corporation, company society or any other body, by whatever name called (hereinafter in this Chapter will be called the "user"), shall install a Scheme requiring usage of water (non consumptive use) of any water source for generating electricity except without being registered under the Commission in accordance with the provisions provided hereinafter in this Chapter.

Submission of Sanctioned Scheme for usage of water by the user

5. Any user intending to install a Scheme requiring usage of water (non consumptive use) for the purpose of generation of electricity shall submit Detailed Project Report of the scheme, duly sanctioned by authority competent to do so in this behalf to the Commission accompanied by such fee and charges as may be fixed by the Commission for registration.

Acceptance of the Scheme

6. After receipt of the scheme from a user, the Commission shall consider the acceptance of the scheme under this Act.

Information to the User

7. After the scheme is accepted by the Commission under section 6, the Commission shall register the scheme and inform the user to –

(a) Execute an agreement in such a form and manner with the Commission as may be prescribed; and

(b) Pay such fee and water Tax as fixed under chapter 4 of this Act.

Prohibition on installation of a Scheme

8. No user shall install a Scheme requiring usage of water without adhering to the requirements of section 10.

Registration for usage of water

9. No person shall install a Scheme, requiring usage of water or in any other way use the water, unless he/she is authorized to do so by a registration certificate, issued under section 10.

Grant of Registration Certificate

10. An user intending to use water (non consumptive use) for generation of electricity shall be issued a registration certificate after the execution of an agreement between the user and the Commission under the Act.

Registered User not to do certain things

11. No registered user shall without prior approval of Commission :-

(a) Undertake any transaction to acquire by purchase or takeover or otherwise, the utility of any other user; or

(b) Merge his utility with the utility of any other user;

(c) No user shall at any time assign his registration or transfer his utility or any part thereof by sale, lease, exchange or otherwise without the prior approval of the Commission.

Duties, obligations and responsibilities of the Registered User

12. (1) The registered user shall be liable to pay water tax for the water drawn for electricity generation as per the provisions of the Act.

(2) Where any user has constructed a Hydropower scheme, for purpose of generation of electricity, prior to the commencement of the Act, such user shall, within a period of six month from the date of commencement of the Act, apply for registration under the Act and the Commission shall pass an order to register the user within a period of six months from the date of receipt of application in accordance with the provisions of the Act.

(3) If the user as mentioned in sub-section (2) fails to apply or register within time stipulated therein, the Commission shall forthwith impose suitable penalty which may be enhanced in case of prolonged default.

(4) Every registered user shall be under an obligation to ensure the safety of the life and property of inhabitants of the area under the operation of the scheme.

(5) Every registered user shall be bound to allow the authority or any other officer authorized by authority to have access at any time to the scheme for their satisfaction.

Control and safety provisions

13. (1) The Commission may, by notice in writing given to the user require him to :-

(a) Cause periodic inspection carried out by an expert, to the satisfaction of the Commission and in accordance with the procedure and at such intervals, as the Commission may specify, for the Scheme;

(2) The user shall pay such fee and such other charges as the State Water Commission may fix in this behalf, to the State Water Commission for undertaking the following activities :-

(a) Periodical inspection of the scheme by the Commission or any other officer or expert empowered in the behalf;

(b) Any other activity performed or caused to be performed by the Commission under this section in relation to the scheme of the user.

CHAPTER-4
ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER

Assessment of water drawn by user

14. (1) The Commission shall install or cause to be installed flow measuring device within the premises of Scheme or at such other place where the Commission deems fit for purposes of measuring the water drawn for electricity generation or may adopt any indirect method for assessment of water drawn by the user.

(2) The Commission may either install or, require a user to install a flow measuring device as per the specifications approved by the Commission at his premises or at his location or at such other place as the Commission may direct and thereafter adjust the expenditure incurred by such user on such installation towards the water Tax payable by the user.

Injuring the flow measuring device or any fitting

15. No person shall willfully injure or cause to be injured, any device or any of the fittings of the device.

Fraud in respect of flow measuring devices

16. No person shall fraudulently or dishonestly-

(a) alter the index of any flow measuring device, or prevent any device from recording the actual quantity of water supplied; or

(b) extract or draw water before it has been recorded by the measuring device set up for the purpose of recording the same; or

(c) tamper the measuring device, install or use a tampered device; or

(d) use any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of water supplied; or

CHAPTER-5

WATER TAX

Fixation of water Tax

17. (1) The user shall be liable to pay the Water Tax under the Act at such rates as the Government may by notification fix in this behalf.

(2) The State Government may review, increase, decrease or vary the rates of the Water Tax fixed under this section from time to time in the manner it deems fit.

Recovery of water Tax

18. The Commission shall recover water tax as per the rates fixed by the State Government from every user whenever water is drawn by a user for generation of electricity.

Procedure for assessment

19. (1) The assessment of water drawn by the user for electricity generation and computation of water tax there of, shall be carried out by the Commission.

(2) The user shall pay the water Tax as assessed under sub-section (1) within such time as may be specified by the Commission.

(3) If any user fails to pay water Tax due on him, penalty shall be imposed on the user as determined by the Commission. The User has to pay Water Tax along with penalty within extended time as may be specified by the Commission. If the user again fails to pay Water Tax along with penalty within the extended time, the dues shall be recovered as arrears of land revenue.

CHAPTER-6

STATE COMMISSION FOR WATER TAX ON ELECTRICITY GENERATION

Establishment of Commission

20. (1) The Government may, within three months from the date of commencement of the Act, by notification, establish an Commission to be known as the State Commission for tax on electricity generation to exercise the powers conferred on, and to

discharge the functions under this Act:

Provided that till the Commission is established under the section, the Principal Secretary/Secretary, Irrigation may exercise the powers and discharge the functions of the Commission under the Act.

(2) The Commission established under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, be the said name, sue or be sued.

(3) The Head Office of the Commission shall be at such place as the State Government fix in this behalf.

(4) The Commission shall consist of a Chairperson and not more than two Members.

(5) The Chairperson and Members of the Commission shall be appointed by the State Government on the recommendations of a search committee referred to in sub-section (1) of section 22.

Qualifications for appointment of Chairperson and Members of the Commission

21. (1) The Chairperson shall be appointed from amongst persons who are either holding or have held a post not below the rank of Secretary to State Government and have adequate knowledge of, or experience in, or have shown capacity in dealing with, problems relating to engineering, finance, commerce, economics, law, administration or management.

(2) The Members of the Commission shall be persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of, or experience in, or have shown capacity in dealing with, problems relating to engineering, finance, commerce, economics, law or management :

Provided that at least one Member shall be from amongst the persons who are either holding or have held a post not below the rank of Chief Engineer or equivalent and having qualification

and experience in the field of Hydropower Engineering.

(3) The Chairperson or any Member of the Commission shall not hold any other office of the profit.

(4) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Commission.

Constitution of a search Committee

22. (1) The Government shall, for the purposes of selecting the Chairperson and Members of the Commission, constitute a search committee consisting of-

(a) Chief Secretary - Chairperson;

(b) Principal Secretary/ Secretary Finance, Uttarakhand Government - Member;

(c) Principal Secretary/ Secretary Irrigation, Uttarakhand Government - Member;

(d) Principal Secretary/ Secretary Power, Uttarakhand Government - Member;

(e) Principal Secretary/ Secretary Law, Uttarakhand Government - Member.

(2) The Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation, or removal of the Chairperson or Member and six month before the superannuation or end of the tenure of the Chairperson or a Member make a reference to the search committee for filing up of the vacancy.

(3) The search committee shall finalize the selection of Chairperson or the Members, within two months from the date on which the reference is made to it.

(4) Before recommending any person for appointment as Chairperson or Member, the search committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his function as such Chairperson or Member.

Term of Office and Conditions of Service

23. (1) The Chairperson and other Members shall hold office for a term of three years from the date they enter upon their office :

Provided that no Chairperson or Member shall hold office after he has attained the age of 65 years :

Provided further that the Government may, at any time for the reasons recorded in writing and after giving an reasonable opportunity of being heard, determine term of the Chairperson or Member before he completes three years term or attain age of 65 years, as the case may be :

Provided further that the Government may suspend the Chairperson or any Member of the Commission in respect of whom an order determining the term is proposed to be passed or in the opinion of the Government there are just and sufficient reasons to suspend the Chairperson or the Member.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and the Members shall be such as may be prescribed :

Provided that the salary, allowances and other terms and condition of service of the Chairperson and the Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

(3) The Chairperson and Members shall, before entering upon their office, make and subscribe to an oath of office and secrecy in such form and in such manner and before such authority as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or a Member may relinquish his office by giving in writing to the Government a notice of not less than three months.

(5) The Chairperson or any Member ceasing to hold office as such shall -

(a) not be eligible for further appointment under the Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office; and

(b) not accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases to hold such office.

Removal of Chairperson or Member

24. (1) The Chairperson or the Member shall cease to hold his office as such if he-

(a) has been adjudged as insolvent by the competent court; or

(b) has been convicted of an offence by the competent court.

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission ;

(2) Where a question arises as to if the Chairman or the member has become physically or mentally incapable of acting as such or has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission, the decision in this regard shall be taken by the Government and shall be final.

Officers and other Employees of the Commission

25. (1) The Commission shall have a Secretary to exercise such powers and perform such duties under the control of the Chairperson, as may be prescribed.

(2) The Secretary shall be appointed by the Government.

(3) The number, nature and categories of other officers and employees required to assist the Commission, to discharge its functions, shall be such as may be prescribed.

(4) The salaries and allowances payable to, and other term and conditions of the service of the Secretary, officers and other employees shall be such as may be prescribed.

(5) The Commission shall engage the engineers and other staff of State Government to assess the water drawn by users and other technical activities to assist the Commission to discharge its functions on the terms and conditions as may be prescribed.

Functions of the Commission

26. The Commission shall discharge the following functions; namely:

(a) Enforce the decisions and orders issued under the Act

(b) Adjudicate upon the disputes regarding Water Tax.

(c) Ensure transparency while exercising the powers and discharging its functions;

(d) Establish a system of enforcement, monitoring and measurement of water drawn for electricity generation;

(e) Such other functions as may be prescribed.

Powers of the Commission

27. (1) The Commission shall for the purposes of making any inquiry or initiating any proceedings under the Act, have the same powers as are vested in a Civil Court, under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely,-

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) discovery and production of any document or other material object capable of being produced as evidence;

(c) receiving of evidence on affidavits;

(d) requisition of any public record;

(e) issuing commission for examination of witnesses;

(f) reviewing its decisions, directions and orders;

(g) any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter before it, as it may consider appropriate.

(3) The Commission may authorize any person, as it may deem fit, to represent the interest of the registered users in the proceedings before it.

Proceedings before Commission

28. All proceedings before the Commission shall deem to be judicial proceedings and the Commission shall deem to be a Civil Court for the purposes of offences affecting the administration of justice under the Indian Penal Code, 1860.

Power of entry and seizure

29. The Commission or any officer, not below the rank of Gazetted Officer specially authorized in this behalf by the Commission, may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts of copies there from subject to the provisions of Indian Penal Code.

Delegation

30. The Commission may, by general or special order in writing, delegate to the Chairman, any Member, Secretary, officer of the Commission or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under the Act, (except the powers to adjudicate disputes under clause (f) of sub-section (1) of section 26 and the powers to make regulations under section 48 as it may deem necessary.

Appeal to High Court

31. (1) Any person aggrieved by any decision or order of the Commission may file an appeal to the High Court.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be preferred within ninety days from the date of communication of the decision or order of the Commission to the person aggrieved by such decision or order.

Penalty for non-compliance of directions of Commission

32. If any complaint is filed before the Commission that any person has contravened any provisions of the Act, or if the Commission is satisfied that any person has contravened any of the provisions of the Act or the rules or regulations or any direction issued by the Commission has not been complied with, the Commission may after giving such person an opportunity of being heard in the matter, by order in writing, direct that, without prejudice to any other penalty to which he may be liable under the Act, such person shall pay, by way of penalty, such amount which shall be prescribed by the Commission for each contravention and in case of a continuing

failure to pay such penalty, with an additional penalty which may be levied as deemed fit by the Commission for everyday from the day such failure commences until he pays such penalty.

Power to adjudicate

33. (1) For the purpose of adjudicating under the Act, the Commission shall appoint any of its members to be an adjudicating officer for holding an inquiry in such manner as may be prescribed after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty.

(2) While holding any inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person has failed to comply with any provision of the Act, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of the Act.

(3) Any person aggrieved by an order under sub-section (2) may, within thirty days of the order, prefer an appeal before the Commission :

Provided that the Commission shall not pass any order without affording reasonable opportunity to the other party or parties, as the case may be.

Factors to be taken in to account by adjudicating officer

34. While adjudicating the quantum of penalty under section 35, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-

(a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;

(b) the repetitive nature of the default.

Penalty not to effect other liabilities

35. The penalties imposed under the Act shall be in addition to, and not in derogation of, any liability in respect of payment of compensation or, in the case of a user, the revocation of his registration which the offender may have incurred.

Grants and loans by the Govt.

36. The Government may, after due appropriation made by State Legislature in this behalf, make to the Commission grants and loans of such sums of money as the Government may consider necessary.

Establishment of fund by the Govt.

37. (1) There shall be a fund constituted to be called the Commission fund and that shall be credited thereto,-

(a) any grants and loans made to the Commission by the Government;

(b) all fees received by the Commission under the Act;

(c) all sums received by the Commission from such other sources as may be decided upon by the Government.

(2) The fund shall be applied for meeting,-

(a) the salary, allowances and other remuneration of Chairperson, Members, officers and other employees of the Commission;

(b) the expenses of the Commission to discharge its function under the Act;

(c) the expenses on objects and for purposes authorized by the Act.

(3) The Government may prescribe the manner of applying the fund for meeting the expenses specified in clause (b) or clause (c) of sub-section (2).

Accounts of Commission

38. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

(2) The annual accounts and balance-sheet of the Commission shall be forwarded to the Government and the Government shall cause the same to be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

Annual Report of the Commission

39. (1) The Commission shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the Government.

(2) A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

Budget of the Commission

40 The Commission shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimate receipts and expenditure of the Commission and forward the same to the Government.

Directions by the Government

41. (1) To discharge its functions, the Commission shall be guided by such direction in matters of policy involving public interest as the State Government may from time to time give to it in writing.

(2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the State Government thereon shall be final.

Protection of action taken in good faith

42. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against the Government or the Commission or any officer of the Government, or any Member, officer or other employee of the Commission or any public servant for anything done or in good faith purporting to be done under the Act or the rules or regulations.

Members, officers, etc. to be public servants

43. The Chairperson, Members, officers and other employees of the Commission when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of the Act, shall be deemed to be public servant within the meaning of the Indian Penal Code, 1860.

Provisions of the act to be in addition to and not in derogation of other laws

44. The provisions of the Act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force in the State.

Powers of Government to make rules

45. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the form and manner in which the agreement is to be executed under clause (b) of section 7;

(b) the form and manner of application and the fee to be paid for grant of registration certificate under section 10;

(c) the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members of the Commission under section 23;

(d) the form and manner in which and the authority before whom the Chairperson and Members shall make and subscribe oath under sub-section (3) of section 23;

(e) the powers to be exercised and duties to be performed by the Secretary of the Commission under sub-section (1) of section 25;

(f) the number, nature and categories of officers and employees of the Commission under sub-section (2) of section 25;

(g) the salaries, allowances and other terms and conditions of Secretary, officers and other employees of the Commission under sub-section (4) of section 25;

(h) the manner of applying the Commission Fund under sub-section (3) of section 40; and

(i) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Powers of commission to make regulations

46. (1) The Commission may, with the prior approval of the Government make regulations consistent with the Act and the rules made thereunder generally to carry out the provisions of the Act.

(2) All regulations made by the Commission under the Act shall be subject to the condition of previous publication.

Rules and regulations to be laid before the State legislature

47. Every rule made by the Government and every regulation made by the Commission shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature.

Power to remove difficulties

48. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the Government may, by order published in the Government Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of the Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature.

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 विधायी/76–2013–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2013}

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–1 प्रारम्भिक	
1.	सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और लागू होना	2
2.	परिभाषाएं	2–5
	अध्याय–दो प्राधिकरण की स्थापना	
3.	प्राधिकरण की स्थापना	5–6
4.	प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता	6–7
5.	अध्यक्ष या सदस्य होने के अनर्हता	7–8
6.	चयन समिति का गठन और कृत्य	8–10
7.	अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते	10–11
8.	अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जाना	11–12
9.	प्राधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तो की राज्य सरकार की शक्ति	12–13
10.	प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ	13–14
11.	रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी	14
	अध्याय–तीन प्राधिकरण की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य	
12.	प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य	14–16
13.	प्राधिकरण की सामान्य नीतियाँ	16
14.	प्राधिकरण की शक्तियाँ	16–17
15.	निर्देश जारी करने की शक्ति	17
16.	जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक	17
17.	निष्पादन के स्तर के संबंध में सूचना	18
18.	सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध	18

1	2	3
	अध्याय–चार	
	माध्यस्थम, अपराध और शास्तियाँ	
19.	माध्यस्थम	18
20.	अपराध और शास्तियाँ	18–19
21.	उपयोगकर्ता द्वारा अपराध	19
22.	अपराध का प्रशमन	20
23.	अपराध का संज्ञान	20
24.	शक्तियाँ और कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी	20
	अध्याय–पाँच	
	लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट	
25.	राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान	20–21
26.	लेखा और लेखा परीक्षा	21
27.	प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट	21
	अध्याय–छः	
	प्रकीर्ण	
28.	भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने योग्य धनराशि	21
29.	अर्थदण्ड या प्रभारों का लागू	21
30.	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का सरंक्षपण	22
31.	अधिकारिता पर रोक	22
32.	प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होंगी	22
33.	प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होगा	22
34.	नियम बनाने की शक्ति	22
35.	विनियम बनाने की शक्ति	22–23
36.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	23–24

THE UTTARAKHAND WATER MANAGEMENT AND REGULATORY ACT, 2013
[UTTARAKHAND ACT NO. 24 OF 2013]

INDEX

Sections	Detail	Page No.
1	2	3
	CHAPTER - I	
	Preliminary	
1.	Short title, extent commencement and **applicable**	25
2.	Definitions	25–28
	CHAPTER – II	
	Establishment of Authority	
3.	Establishment of Authority	28
4.	Qualification for appointment of Chairperson and other member of Authority	28–30
5.	Disqualification for being the Chairperson or a Member	30
6.	Constitution and function of the selection committee	30–32
7.	Terms of Office and conditions of service of the Chairperson	32–33
8.	Removal of the Chairperson or a member	34
9.	Power of State Government to depute officers and employees to the Authority and their service conditions	34–35
10.	Proceedings of the Authority	35–36
11.	Vacancies etc not to invalidate act or proceeding	36
	CHAPTER – III	
	Powers, Functions and Duties of the Authority	
12.	Powers and function of the Authority	36–38
13.	General Policies of the Authority	38
14.	Power of the Authority	38–39
15.	Powers to issue direction	39
16.	Water supply and overall performance standards	39
17.	Information with respect to levels of performance	39
18.	Restriction on disclosure of information	39–40

1	2	3
	CHAPTER-IV	
	Arbitration, offences and penalties	
19.	Arbitration	40
20.	Offences and penalties	40
21.	Offence by user	41
22.	Compounding of Offences	41
23.	Cognizance of offences	41
24.	Penalties and proceedings not to prejudice other actions	42
	CHAPTER – V	
	Accounts, Audit and Report	
25.	State Government to the Authority	42
26.	Accounts and audit	42
27.	Annual report of the Authority	43
	CHAPTER – VI	
	Miscellaneous	
28.	Amount recoverable as arrears of land revenue	43
29.	Application of fines and Charges	43
30.	Protection of Action of good faith	43
31.	Bar of Jurisdiction	43
32.	Proceeding before the Authority to be judicial proceedings	43
33.	Chairperson, Member and Staff of the Authority to be public servants	44
34.	Power to make rules	44
35.	Power to make regulation	44–45
36.	Power to remove difficulties	45

क्रम संख्या–92 (ख) पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन०–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2013 ई०
चैत्र 15, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 170 / XXXVI(3) / 2013 / 27(1) / 2013

देहरादून, 05 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक विधेयक, 2013"** पर दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2013}

राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबंधन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू–स्वामियों के बाढ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर निर्धारित करने के लिए उत्तराखण्ड जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

सक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) इस अधिनियम के उपबंध, उत्तरी भारत नहर और जल–निकास अधिनियम, 1873 और उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर–व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा् प्रवृत्त) एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लागू होगें।

परिभाषाएं

2. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) **"कार्यक्षेत्र"** से उत्तराखण्ड के ऐसे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से है, जिसमें जल का प्रबंधन और उसका संभरण सार्वजनिक या निजी अभिकरण द्वारा प्रयोग करने वाले विभिन्न खण्डों/विभागों/उपभोक्ता समूह को किया जाता हो या ऐसे क्षेत्र से है, जो बाढ संरक्षण और जल–निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित होता हो;

(ख) **"कछार"** से किसी नदी के इर्द–गिर्द के ऐसे भू–क्षेत्र से है, जिससे धारायें उसमें प्रवाहित होती हैं;

(ग) **"थोक जल हकदारी"** से किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधन की, हकदारी प्रदान करने वाले आदेश में यथा उपबंधित किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये, हिस्सेदारी हेतु आयोग द्वारा किये गये मात्रात्मक प्राधिकार अभिप्रेत है;

(घ) **"उपयोग की श्रेणी"** से विभिन्न प्रयोजनों यथा पेय और घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक, सिंचाई, विद्युत, कृषि और पर्यावरण संबधी प्रयोजन आदि और उसके अन्तर्गत यथाविहित अन्य प्रयोजन भी है, के लिये जल उपयोग के वर्गीकरण अभिप्रेत है;

(ङ) **"उपकर"** से बाढ संरक्षण और जल–निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी/पट्टाधारियों से प्रभारित की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(च) **"अध्यक्ष"** से प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) **"प्राधिकरण"** से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ज) **"हकदारी"** से इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये जल के उपयोग हेतु प्राधिकरण द्वारा किये गये प्राधिकार अभिप्रेत है;

(झ) **"भू–जल"** से ऐसे जल से है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर ऐसे भू–वैज्ञानिक संरचना को छोड़कर जिसमें जल स्थिर या गतिमान हो, जिसके अंतर्गत भूजल के जलाशय भी है, भूतल के नीचे किसी जलकुंड में विद्यमान रहता हो;

(ञ) **"भू–गर्भ जल हकदारी"** से प्राधिकारी द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् एवं विधिक रूप से अनुज्ञा प्राप्त, पंजीकृत और निर्मित किसी नलकूप, बोरिंग कूप या अन्य कूप से भू–गर्भ जल निकालने के किसी अन्य साधन द्वारा, मैदानों और कुओं से निकाले जाने वाले जल की आयतनिक मात्रा के लिए व्यक्तिगत/उपभोक्ता समूह थोक जल हकदारी अभिप्रेत है;

(ट) **"व्यक्तिगत जल हकदारी"** से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट थोक जल हकदारी से भिन्न जल के प्रयोग के लिये प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ठ) **"एकीकृत राज्य जल योजना"** से सतही और भूजल दोहन के प्रयोग के लिये प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित जल योजना अभिप्रेत है;

(ड) "**लाइसेंस**" से प्राधिकरण द्वारा यथाविहित रूप से प्रदान किये गये लाइसेंस अभिप्रेत है;

(ढ) "**लाइसेंसधारी**" से ऐसे व्यक्ति/संगठन से है जो जल संभरण प्रणाली का अनुरक्षण करता हो, जल का संभरण करता हो और जल टैरिफ एकत्रित करता हो या जो नलकूप/डीजल पंपिंग सेट का स्वामी हो या किसी प्रयोजन के लिये, जिसके अन्तर्गत भू-गर्भ जल के दोहन, द्वारा घरेलू उपयोग भी है, भू-गर्भ जल का उपयोग करता हो;

(ण) "**सदस्य**" से प्राधिकरण के किसी सदस्य अभिप्रेत है;

(त) "**अधिसूचित क्षेत्र**" से अत्यधिक दोहित या संकटपूर्ण श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली इकाई/न्याय पंचाचत अभिप्रेत है;

(थ) "**विहित प्राधिकारी**" से जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर किसी ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा किसी प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध जल का कोटा या उसकी मात्रा का उपयोग प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत हकदारी के आंवटित प्रतिशत के रूप में वार्षिक या मौसम के आधार पर करने हेतु अवधारित या घोषित करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(द) "**परियोजना स्तरीय इकाई**" से किसी जल संसाधन परियोजना के अन्तर्गत किसी सामान्य संभरण स्रोत से समस्त जल उपभोक्ता इकाईयों के किसी समूह अभिप्रेत है;

(ध) "**कोटा**" से किसी हकदारी धारक को उपलब्ध कराये गये जल की ऐसी आयतनिक मात्रा अभिप्रेत है, जिसे वार्षिक या मौसम के आधार पर आवंटन प्रतिशत द्वारा हकदारी में गुणा करके प्राप्त किया जाता है;

(न) "**विनियम**" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों अभिप्रेत है;

(प) "**चयन समिति**" से अध्याय-दो की धारा 6 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(फ) "**सीवर व्यवस्था**" से किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उचिछष्ट जल, व्यर्थ द्रव्य पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने अभिप्रेत है;

(ब) "**राज्य जल नीति**" से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नीति अभिप्रेत है;

(भ) "**टैरिफ**" से जल संभरण उपलब्ध कराने हेतु लागू विनिर्दिष्ट प्रभार या प्रभारों के वर्ग अभिप्रेत हैं;

(म) "उपयोगकर्ता" से किसी जल प्रयोक्ता इकाई यथा अभिकरण, कंपनी, व्यक्ति, निदेशक आदि अभिप्रेत है, जो जल के प्रबन्धन, शोधन और कृषि, बागवानी, घरेलू, उद्योगों, नगरपालिका/ग्रामीण जल संभरण को वितरण करने के लिए या प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उत्तरदायी हो;

(कक) "भू-गर्भ जल प्रयोक्ता" से व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिये भू-गर्भ जल का स्वामित्व रखने या उपयोग करने वाली किसी कंपनी या अधिष्ठान, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सहित किसी संस्था के व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी व्यक्ति/व्यक्तियों अभिप्रेत है;

(कख) "जल" से नदियों, में या किसी नदी के किसी भाग में, धारा, झील, जलभ्रत या प्राकृतिक जल निकास की नहर में जल के प्राकृतिक संचयन से, मल और औधोगिक उच्छिष्ट आदि के शोधन के पश्चात पुनः चकित जल अर्थात जल संभरण और सीवर-व्यवस्था, सिंचाई और नहरों, जल-निकास और तटबंधों, जल संग्रहण और जल विद्युत और भू-जल से प्राप्त होने वाले जल या जलीय चक के अन्तर्गत संगृहीत या प्रवाहित सभी प्रकार के (ठोस, द्रव या वाष्प) ऐसे जल से है जो जीवन के पोषणीय गुणवत्ता या पोषणीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है;

(कग) "जल प्रयोक्ता इकाई" से जल प्रयोक्ता संघ, उपयोगकर्ता, औद्योगिक जल प्रयोक्ता संघ या किसी अन्य समूह या व्यक्ति सहित किसी ऐसी जल प्रयोक्ता इकाई से है जो जल हकदारी को प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने के लिये प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत की गयी हो;

(कघ) "जल उपलब्धता" से किसी अवधि, या मौसम या वर्ष, के लिये प्रयोग हेतु सतही या भूजल जो पुनःभरण योग्य है की उपलब्धता अभिप्रेंत है;

(कङ) "जल गुणवत्ता" से ऐसे सुलभ जल अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उपभोग व उस प्रयोजन, जिसके लिये उसका संभरण किया जाता है, के लिये सुरक्षित है।

अध्याय-दो

प्राधिकरण की स्थापना

प्राधिकरण की स्थापना

3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जिसे उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून में होगा।

(4) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक संख्या के सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, होगें।

(5) अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता

4. (1) केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जो नीचे उल्लिखित अर्हताएं रखता हो।

(क) अध्यक्षः– अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से संबधित विभागों का अनुभव रखता हो;

(ख) सदस्यगणः–

(एक) एक सदस्य जल संसाधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सिविल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और सिंचाई/जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो और मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो। उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जल स्रोत/संसाधन की पूर्ण जानकारी रखता हो;

(दो) एक सदस्य जल संसाधन अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जो अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या वित्त/एकाउण्टेंसी में एम0बी0ए0 हो। उसको किसी प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान में आचार्य के रूप में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4–क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के साथ कम से कम 25 वर्ष का

अनुभव होना चाहिये या उसकी वित्त, विनियम, टैरिफ संरचना आदि से सम्बन्धित सारभूत व्यावसायिक पृष्ठभूमि अवश्य होनी चाहिये;

(तीन) एक सदस्य पेयजल और उच्छिष्ट (व्यर्थ पानी) जल प्रबन्धन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से सिविल/यांत्रिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको नगरीय, ग्रामीण जल संभरण, जल निकास, सीवर व्यवस्था और उच्छिष्ठ (व्यर्थ पानी) जलप्रबन्धक के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये और उसने जल संभरण के लिए भूजल विकास और वृहद जल शोधन संयंत्र में विशिष्ट अनुभव रखने के साथ मुख्य अभियन्ता के रूप में या उसके समकक्ष पद पर सेवा की हो;

(चार) एक सदस्य कृषि, भू-प्रबधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से कृषि, कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको कृषि, उघोग, अध्यापन, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(4) जहाँ अध्यक्ष की अनुपस्थिति बीमारी, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो या जहाँ अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो, वहाँ अध्यक्ष द्वारा उसकी ओर से नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नाम-निर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हो, वहाँ विद्यमान सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष या सदस्य होने के अनर्हता

5. कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह हो जायेगा, यदि वह-

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो और कारावास की सजा से दण्डित किया गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पडने की सम्भावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा;

(च) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य हो या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी हो; या

(छ) किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो या उसमे कोई पद धारण किया हो।

चयन समिति का गठन और कृत्य

6. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	– पदेन अध्यक्ष
(ख)	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या उसका नाम–निर्देशिती, जो केन्द्रीय जल आयोग का सदस्य होगा	– पदेन सदस्य
(ग)	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	– पदेन सदस्य
(घ)	निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर	– पदेन सदस्य
(ङ)	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– पदेन सदस्य सचिव।

(2) राज्य सरकार मृत्यु, त्याग–पत्र या हटाये जाने के कारण कोई रिक्ति होने के दिनांक से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की अधिवर्षता या उसके कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को निर्देश देगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय चयन समिति को यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में चयनित किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति के कार्यनिष्पादन, अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हताओं और अनुभव पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा।

(4) चयन समिति, निर्देश दिये जाने के दिनांक से दो माह के भीतर सदस्यों के चयन को अन्तिम रूप देगी।

(5) चयन समिति, उसे निर्देशित की गयी प्रत्येक रिक्ति के लिये तीन नामों के पैनल की संस्तुति करेगी।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय, चयन समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचित करेगा :–

(क) निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबंध या व्यवस्था का जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम/माध्यम से करता हो :–

(एक) भू–जल अपयोजन, जल वितरण, भूजल का निकाला जाना या जल संभरण;

(दो) जल उद्योग से संबंधित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या साज–सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाडा या उनकी आपूर्ति या उनका संव्यवहार;

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी कारबार के लिये कोई व्यावसायिक सेवायें उपलब्ध कराने वाली कोई इकाई;

(ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसा कि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त विवरण को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्ति कि चयन और उसकी संस्तुति के समय चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।

(8) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में रूचि से स्वयं को निर्निहित रखेगा।

(9) यदि, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी, प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।

(10) जब तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण करता है और किसी भी कारण, जो भी हो, से अध्यक्ष या सदस्य से उसके प्रविरत हो जाने के पश्चात दो वर्ष की अवधि तक वह उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई पद, नियोजन या परामर्शदात्री व्यवस्था या कोई वित्तीय हित प्राप्त, धारण या अनुरक्षित नही करेगा और यदि वह अनैच्छिक रूप में या उत्तराधिकार या वसीयती व्ययन स्वरूप ऐसा कोई हित प्राप्त करता है तो वह ऐसा हित प्राप्त किये जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस हित से स्वयं को निर्निहित कर लेगा।

(11) किसी व्यक्ति को संस्तुत करने के पूर्व चयन समिति स्वंय का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति के पास उपधारा (6) में यथानिर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नही है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना न हो।

(12) चयन समिति के समस्त विनिश्चय बहुमत द्वारा होगें।

(13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रकिया ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(14) अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति, चयन समिति में केवल किसी प्रकार की रिक्ति के कारण अविधिमान्य नही होगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते

7. (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को अनधिक दो लगातार अवधि तक के लिये पुनर्नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को एक माह की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है या उसे धारा 8 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष और प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन एवं सेवा शर्तें ऐसी होगी, जैसा कि विहित की जाय।

(5) अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात्, अलाभकारी परिवर्तन नही होगें।

(6) इस रूप में पद धारण से प्रविरत होने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य :–

(क) राज्य सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये राज्य सरकार की अनुज्ञा के सिवाय उस दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये पात्र नहीं होगा, जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है;

(ख) उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये किसी वाणिज्यिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा, जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है; और

(ग) प्राधिकरण के समक्ष किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

स्पष्टीकरणः– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ :–

(एक) **"राज्य सरकार के अधीन नियोजन"** में किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी निगम या समिति के अधीन नियोजन सम्मिलित है;

(दो) **"वाणिज्यिक नियोजन"** से जल संसाधन से संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में संलग्न किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकरण में किसी हैसियत से नियोजन से है और उसमें किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का साझीदार भी सम्मिलित है और इसमें, या तो स्वतंत्र रूप मे या किसी फर्म के साझीदार के रूप में या किसी सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में संव्यवहार स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।

अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जाना

8. (1) इस प्रयोजनार्थ उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर के अधिकारियों को दिये गये निर्देश पर सरकार के सचिव के समकक्ष अधिकारियों से नियुक्त तीन जांच अधिकारियों के पैनल द्वारा की गयी जांच के आधार पर और विपक्ष के नेता के परामर्श से सूचित किये जाने के पश्चात कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिये, प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही राज्य सरकार उसके पद से हटा सकेगी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसने धारा 5 में उल्लिखित किसी अनर्हता को प्राप्त किया हो।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष या किसी सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से तभी हटाया जायेगा, जब कि इस निमित्त मुख्य न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा की गयी, जांच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये निर्देश के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा सूचित न कर दिया गया हो कि उक्त सदस्य को ऐसे आधारों पर हटा दिया जाना चाहिए।

(4) राज्य सरकार, यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अन्तिम विनिश्चय की सूचना, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष या संबंधित सदस्य को दी जायेगी।

प्राधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तो की राज्य सरकार की शक्ति

9\. (1) प्राधिकरण, अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ऐसे कर्तव्यों, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को करने एवं उनका निष्पादन करने के लिये एक सचिव को नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, राज्य जल संसाधन अभिकरण/राज्य जल संसांधन डाटा एंव विश्लेषण केन्द्र से आवश्यक आदान प्राप्त करेगा, जो प्राधिकरण हेतु तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। प्राधिकरण ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जैसा कि वह अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे। प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा।

(3) प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्ते ऐसी होगीं, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें।

(4) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की निबंधन एवं सेवा शर्ते, प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व उनके लिए लागू निबंधन एवं सेवा शर्तो से कम लाभकारी नही होगी और वे उनके लिये अलाभकारी नही होगी।

(5) राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में किये गये प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।

(6) प्राधिकरण में किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी सिवाय इसके कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधारों यथा पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, पदच्युति या अधिवर्षता पर या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से संप्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित हो तो वह राज्य सरकार के अधीन सेवा से संप्रवर्तित रहेगा :

परन्तु यह कि ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन, अवकाश, भत्तों, सेवानिवृत्ति, पेशन, भविष्य निर्वाह निधि और अन्य सेवा शर्तो से संबंधित समस्त मामलों का विनियमन, राज्य सरकार सिविल सेवा नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधन द्वारा किया जा सकेगा।

प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ

10. (1) प्राधिकरण राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में (अपनी बैठकों की गणपूर्ति सहित) कार्य को सव्यवहृत करने में प्रकिया के ऐसे नियमों का संप्रेक्षण करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।

(2) अध्यक्ष या यदि वह प्राधिकरण की बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ हो तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नाम–निर्देशन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष न हो, वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे समस्त मामलों, जो प्राधिकरण के समक्ष आते है, पर विनिश्चिय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

(4) प्राधिकरण के समस्त निर्णय, निदेश और आदेश तर्कसंगत आधार पर लिखित में होगें और किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध होगें और उनकी प्रतियाँ भी ऐसी रीति से उपलब्ध करायी जायेगी, जैसी कि प्राधिकरण अवधारित करें।

(5) प्राधिकरण अपनी स्वंय की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

(6) प्राधिकरण के समस्त आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नही करेगी

11. प्राधिकरण के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नही की जायेगी या उसको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा कि कोई रिक्ति विद्यमान थी या प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि थी।

अध्याय–तीन

प्राधिकरण की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य

प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य

12. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा; अर्थात्:–

(क) राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अन्तर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य जल संसाधन अभिकरण द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/कछार योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ख) उपयोगकर्ता और परियोजना स्तर पर और विभिन्न श्रेणी के जल उपयोग के लिए और विभिन्न जल प्रयोक्ता इकाई के मध्य ऐसे निबंधन और शर्तो, जो ऐसे वितरण हेतु विहित की जायें, पर राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अन्तर्गत हकदारी के आवंटन एवं संवितरण को अवधारित करना;

(ग) राज्य के भू–पृष्ठ और भू–गर्भ जल के अपयोजन, भण्डारण और उपयोग के हकदारी में उपान्तरण के लिए मानदण्ड निर्धारित करना;

(घ) संबंधित इकाई द्वारा नदी कछार/उप कछार/पर्वतीय क्षेत्र/तराई क्षेत्र प्रस्तावित नई जल संसाधन परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करना और उन्हें यह सुनिश्चित करते हुये स्वीकृति प्रदान करना कि प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रत्येक इकाई के जल आंवटन के संबंधन में, एकीकृत राज्य जल योजना के अनुरूप है अर्थात आर्थिक रूप से, जल भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से और पर्यावरणीय रूप से जीवनक्षय है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मात्रा और उपयोग के प्रकार दोनों में वास्तविक जल उपयोग, प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी हकदारी के अनुपालन में है, जल उपयोग की हकदारियों की प्रवर्तन अनुश्रवण और माप प्रणाली स्थापित करना;

(च) पर्यावरण के संरक्षण का अनुश्रवण करना और स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार सतही और भूजल संसाधनों की गुणवत्ता की संरक्षा और सुरक्षा के लिये रूपरेखा के विकास को सुगम बनाना;

(छ) यदि कोई जल प्रयोक्ता ईकाई/निजी समूह/विभाग किसी सतही जल या भूजल स्रोत को प्रदूषित करती है या प्रदूषण को कारण बनती है और इस प्रकार से जल गुणवत्ता के स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के संधारण का अतिलंघन होता है तो हकदारी वापस लेना या कोई कार्यवाही करना जैसा कि आवश्यक समझा जाय;

(ज) ऐसे किसी सरकारी या निजी संगठन या अभिकरण, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर शास्ति अधिरोपित करना, जो प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट अनुमोदन या उसकी स्वीकृति के बिना किसी भू-पृष्ठ या भू-गर्भ जल संसाधन की प्रास्थिति को बदलता है, परिवर्तित करता है या बदलाव अथवा परिवर्तन का कारण बनता है;

(झ) जैसा और अब आवश्यक समझा जाय हकदारी की समय-समय पर समीक्षा करना;

(ञ) प्राधिकरण या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा थोक जल हकदारी को पंजीकृत करना और उसका अनुश्रवण करना;

(ट) जल के अपव्यय को न्यूनीकृत करने के लिये जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र के कियाकलापों में स्पर्द्धा, कार्यक्षमता और मितव्ययिता को बढावा देना;

(ठ) उत्तम जल प्रबंधन तकनीकी को बढावा देना;

(ड) भू-गर्भ जल पुनर्भरण में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल संचयन को प्रवर्तित करना;

(ढ) प्रशासन, प्रचालन, अनुरक्षण, ह्रास और राजसहायता सहित समस्त लागतों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात जल के उपयोग के लिए जल टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हे विनियमित करना;

(ण) समय-समय पर टैरिफ/जल प्रभारों की समीक्षा करना और उनका पुनरीक्षण करना;

(त) नयी परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये गये बाढ संरक्षण और जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भू-स्वामी से प्रभारित किये जाने वाले उपकर की दर को अवधारित करना और उसे नियत करना;

(थ) प्राधिकरण द्वारा प्रधिकृत किसी उपयुक्त अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी विनिश्चयों या आदेशों को प्रवर्तित करना या इस प्रयोजन के लिये किसी विद्यमान अभिकरण को सशक्त करना;

(द) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को निर्दिष्ट किसी मामले में राज्य सरकार की सहायता करना और उसे परामर्श देना।

प्राधिकरण की सामान्य नीतियाँ

13. (1) प्राधिकरण, राज्य जल नीति की रूपरेखा के अन्तर्गत कार्य करेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य में कार्यदायी अभिकरणों के माध्यम से राज्य नीति के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में ठोस जल संरक्षण एवं प्रबंधन रीतियों को बढावा देगा और उनका अनुश्रवण करेगा।

(3) प्राधिकरण, सुसंगत राज्य अभिकरणों के पूर्ण समन्वय से राज्य के भीतर जल गुणवत्ता में वृद्धि और उसके संरक्षण के निमित्त सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगा।

प्राधिकरण की शक्तियाँ

14. (1) प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन संबंधी कृत्यों के निष्पादन के दौरान, निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ होगी अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उपस्थिति के लिये दबाव डालना तथा उसकी शपथपूर्वक परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति का अधियाचन करना; या

(ङ) साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) ऐसे अन्य मामले, जो चिन्हित किये जायें।

(2) कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या अभिकरण या उपयोगकर्ता :—

(क) जल अंतरण, वितरण एवं जल के उपभोग से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में प्राधिकरण के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसी पुस्तिकाएं, लेखा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो; और

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को अपने स्वामित्व, शक्ति या नियंत्रण में ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।

(3) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि किसी इकाई अथवा व्यक्ति की या उससे संबंधित कोई पुस्तिकायें या दस्तावेज, जिनके लिये ऐसी जांच की जा रही हो या कार्यवाही संबंधित हो, या जिसे ऐसी इकाई के स्वामी से ऐसी जांच या कार्यवाही में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय, किसी लिखित आदेश द्वारा नष्ट किये जा रहे है या नष्ट किये जा सकते हैं, वहाँ प्राधिकरण अपने किसी अधिकारी को प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 और 240–क के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, प्राधिकृत कर सकता है।

(4) प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह से परामर्श ले सकता है, जो प्राधिकरण के विनिश्चयों द्वारा प्रभावित हो या प्रभावित होना सम्भाव्य हो।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कोई नोटिस जारी की गयी हो, ऐसी नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट सूचना, विवरण, बही, लेखा और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करायेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति

15. राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक

16. प्राधिकरण समय–समय पर :–

(क) जल सम्भरण सेवा और उपभोक्ताओं द्वारा जल के कुशल प्रयोग के संवर्धन के संबंध में समग्र निष्पादन के ऐसे मानकों का अवधारण कर सकता है, जो उसकी राय में मितव्ययितापूर्ण हो और ऐसे लाइसेन्सधारी द्वारा प्राप्त किया जा सके और भिन्न–भिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा भिन्न–भिन्न मानक अवधारित किये जा सकते है; और

(ख) इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकता है, जैसा प्राधिकरण उचित समझे।

निष्पादन के स्तर के संबंध में सूचना

17. (1) प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक लाइसेंसधारी प्राधिकरण के समक्ष धारा 16 के अधीन अवधारित प्रत्येक मानक के संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा किये गये निष्पादन के स्तर को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्राप्त ऐसी सूचना को, जिसे वह आवश्यक समझे सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर सकता है।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध

18. (1) इस अधिनियम के यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या कारबार के संबंध में कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी है या उसे प्राप्त हुई है, वर्गीकृत के रूप में समझी जायेगी और उसे प्राधिकरण द्वारा संबंधित व्यक्ति या कारबार के प्रभारित व्यक्ति सहमति के बिना प्रकट नही किया जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसी सूचना को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध उसकी आवश्यकता हो, प्रकट किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्विष्ट प्रतिबंध टैरिफ से संबधित सूचना पर लागू नहीं होगा।

(3) प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना गोपनीय रखी जायेगी और उसे किसी व्यक्ति या अभिकरण को केवल प्राधिकरण की अनुमति से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

अध्याय –चार

माध्यस्थम, अपराध और शास्तियाँ

माध्यस्थम

19. धारा 35 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बध में लाइसेंसधारी या उपयोगकर्ताओं के मध्य किसी विवाद या मतभेद के होने पर इसे माध्यस्थम के लिये प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकता है। प्राधिकरण विवाद को न्याय निर्णीत करने और निपटाने के लिये माध्यमस्थम के रूप में स्वंय या किसी मध्यस्थ को नामित कर सकता है। मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में दी गयी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

अपराध और शास्तियाँ

20. (1) कोई भी व्यक्ति, जो :–

(क) इस अधिनियम, या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में जल के वितरण या आपूर्ति के कारबार में संलिप्त होता है ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी निदेश, आदेश या अपेक्षा का पालन करने या उसे कार्यान्वित करने से समुचित कारण के बिना अस्वीकार करता है या असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास या रूपये एक लाख तक के जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा और प्रथम अपराध के पश्चात् जिस अवधि में अपराध चलता रहे, प्रत्येक दिन के लिये रूपये बीस हजार तक की शास्ति से और भी दण्डित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को छः मास तक के कारावास या रूपये एक लाख तक के जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा और प्रथम अपराध के पश्चात जिस अवधि में अपराध चलता रहे, प्रत्येक दिन के लिये रूपये पांच हजार तक की शास्ति से और भी दण्डित किया जा सकेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा अपराध

21. (1) इस अधिनियम के अधीन उपराध करने वाला व्यक्ति यदि उपयोगकर्ता है तो उपयोगकर्ता के साथ–साथ अपराध होने के समय उसके कारबार के संव्यवहार के लिए उपयोगकर्ता के प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को भी अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही के लिये दायी होगा और तद्नुसार दण्डनीय होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति दण्डनीय नही होगा यदि वह साबित कर देता है कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिये पर्याप्त तत्परता दिखायी थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध उपयोगकर्ता द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उपयोगकर्ता के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या अपराध उनकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अधिकारी को भी अपराध का दोषी माना जायेगा और कार्यवाही के दायी होगें तथा तदनुसार दण्डनीय होगें।

अपराध का प्रशमन 22. (1) प्राधिकरण, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया या किसी अपराध के लिये युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, रूपये एक लाख से अनधिक की धनराशि की राशि प्रशमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है और अपराध का शमन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के प्रशमित हो जाने पर ऐसे अपराध के संबध में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी रखी जायेगी और यदि उसके विरूद्ध उस अपराध के सम्बध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है तो ऐसा प्रशमन उसके दोषमुक्त होने के समान प्रभावी होगा।

अपराध का संज्ञान 23. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय तब जब प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से शिकायत प्राप्त हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण अधिकारिता वाले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

शक्तियाँ और कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाहयों पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी 24. किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ और कार्यवाहियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों और कार्रवाइयों के अतिरिक्त होगी और उसके अल्पीकरण में नहीं होगी।

अध्याय–पाँच

लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान 25. (1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात प्राधिकरण को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझें :

परन्तु यह कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय राज्य की समेकित निधि से भारित किया जायेगा।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निष्पादन के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा और प्राधिकरण के व्यय के लिये फीस भी प्रभारित कर सकता है।

(3) प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क / याचिकाओं / विवादों के शुल्क की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

26. (1) प्राधिकरण, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करायेगा।

(2) प्राधिकरण लेखे की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अन्तराल पर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा से संबंधित उपगत व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा महालेखाकार को किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रतियाँ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्राधिकरण के लेखे के वार्षिक विवरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

27. (1) प्राधिकरण, विगत वित्तीय वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये तैयार करेगा और इसकी प्रतियाँ सरकार को अग्रसारित की जाएगी।

(2) राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने योग्य धनराशि

28. इस अध्याय के अधीन देय धनराशि के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि को, प्राधिकरण के सचिव के प्रमाण पत्र पर भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूल किया जा सकेगा।

अर्थदण्ड या प्रभारों का लागू

29. इस अधिनियम के अधीन किसी अर्थदण्ड या प्रभारों को अधिरोपित करते समय प्राधिकरण निदेश दे सकता है कि उसकी पूर्ण धनराशि या उसका कोई भाग कार्यवाही की लागत के भुगतान में या प्रति प्रवृत्त होगा।

सद्‌भावपूर्वक की गई कार्यवाही का सरंक्षपण

30. किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या आदेश के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी।

अधिकारिता पर रोक

31. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्यवाही अपील योग्य नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय की किसी ऐसे मामलें के सम्बन्ध में अधिकारिता नही होगी, जिसे प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विनिश्चय करने के लिए सशक्त है।

प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी

32. प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा और प्राधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय छब्बीस के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

प्राधिकरण का अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होगा

33. प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

34. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना ऐसे नियमों में सभी विषयों या निम्नलिखित में से किसी एक के संबंध में व्यवस्था हो सकती है; अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) रीति और तरीका, जिसमें प्राधिकरण के लेखे को अनुरक्षित किये जायेगें; और

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे निहित किए जाने की अपेक्षा हो या विहित किया जा सके।

विनियम बनाने की शक्ति

35. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन दक्ष निष्पादन और उसके कृत्यों के लिए विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल न हो।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों की व्यवस्था हो सकती है; अर्थात् :–

(क) अपने कृत्यों के निष्पादन में प्राधिकरण के कार्यकलापों का प्रशासन;

(ख) लाइसेंन्सधारियों और जल के कय, वितरण या सम्भरण में अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को सौपें जाने वाले कृत्यों का निर्धारण, वह ढंग जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और जल सम्भरण प्रणाली के संचालन और अनुक्षरण के सम्ब्ध में अपनाई और लागू की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) लाईसेंस स्वीकृत करने की प्रकिया और शर्ते, लाइसेन्स के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण और दस्तावेज, मानक और सामान्य शर्ते जिसके अधीन लाइसेन्स स्वीकृत किया जायेगा, लाईसेन्स की अपेक्षा से छूट की स्वीकृति, लाइसेन्सों का विखण्डन और संशोधन और उनका प्रभाव और उससे सम्बन्धित सभी विषय;

(घ) लाइसेन्सधारियों के कर्तव्य, शक्तियाँ अधिकार और दायित्व;

(ङ) उन व्यक्तियों द्वारा जो जल वितरण और जल संभरण या उसके प्रयोग में अन्तर्ग्रस्त हो, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और सूचना, विवरण, दस्तावेज, लेखे और बहियाँ, प्रस्तुत करने की रीति और तरीका;

(च) राजस्व और टैरिफों के निर्धारण की निबंधन और शर्ते और प्रक्रिया;

(छ) राज्य में जल वितरण या सम्भरण में अन्तर्गत व्यक्तियों के कार्य निष्पादन के मानकों का निर्धारण;

(ज) लाइसेंसधरीं और जल उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;

(झ) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लघंन के लिए अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड और शास्ति की धनराशि जिसमें अर्थदण्ड और शास्तियों के अधिरोपण की रीति और तरीका और उसके संग्रह का ढंग सम्मिलित है;

(ञ) किसी अन्य विषय की, जिसकी विनियमों द्वारा अपेक्षा हो या हो सकती हो, व्यवस्था की जा सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

36. (1) यदि अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार शासकीय गजट में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परन्तु अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश इस निर्माण के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 170/XXXVI(3)/2013/27(1)/2013

Dated Dehradun, April 05, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Water Management And Regulatory Act, 2013'** (Adhiniyam Sankhya 24, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 04 April, 2013.

THE UTTARAKHAND WATER MANAGEMENT AND REGULATORY ACT, 2013

[UTTARAKHAND ACT NO. 24 OF 2013]

AN ACT

To provide for the establishment of the Uttarakhand water Management and Regulatory Authority Bill to Regulate water resources within the State, facilitate and ensure judicious, equitable and sustainable management, allocation and optimal utilization of water resources of environmentally, economically sustainable development of the State, fix the rates for water use for agriculture, industrial, drinking, power and other purposes and cess on land benefited by flood protection and drainage works from the owners of lands benefited through appropriate regulatory instruments according to State Water Policy and matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty–fourth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

Preliminary

Short title, extent commencement and applicable

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint in this behalf.

(4) The provisions of this Act shall apply notwithstanding anything to the contrary contained in Northern India Canal and Drainage Act, 1873 or the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (as implemented in the State of Uttarakhand) or in any other law for the time being in force.

Definitions

2. In this Act, unless the Context otherwise requires,-

(a) **"Area of Operation"** means the entire geographical area of Uttarakhand in which water is managed and supplied to different use sectors by public or private agency or the area which is benefited by flood protection and drainage works;

(b) **"Basin"** means the area of land around a river from which streams run down into it;

(c) **"Bulk water Entitlement"** Means the Volumetric authorization given by the Authority to a share of water resource by a project, river system or storage facility, for specific period of time as specifically provided in the order granting the entitlement;

(d) **"Category of uses"** means classification of use of water for different purposes such as drinking and domestic, industrial or commercial, irrigation, power, agriculture and environmental, etc, and includes such other purposes as may be prescribed;

(e) **"Cess"** means an amount to be charged on lands benefited by flood protection and drainage work from owners/ lease holders of such lands;

(f) **"Chairperson"** means the chairperson of Authority;

(g) **"Authority"** means the Uttarakhand Water Management and Regulatory Authority established under section 3;

(h) **"Entitlement"** Means any authorization by the authority to use the water for the specified purpose under this Act;

(i) **"Groundwater"** means the water, which exists in an aquifer below the surface of the ground at any particular location, regardless of the geological structure in which it is stationary or moving and includes all groundwater reservoirs;

(j) **"Ground water entitlement"** means and individual or bulk water entitlement to a volumetric quantity of water to be extracted from a tube well, bore well or other well or by any other means of extraction of ground water, or a group or field or wells duly and legally permitted, registered and constructed in accordance with standards prescribed by the authority;

(k) **"Individual Water Entitlement"** means any authorization by the authority to use the water for specified purpose under this Act other than bulk water entitlement;

(l) **"Integrated State Water Plan"** means a water plan for use of both surface and ground water duly approved by the Authority;

(m) **"License"** means license granted by the Authority in such manner as may be prescribed;

(n) **"Licensee"** means an individual / organization which maintains the water supply system, supplies water and collects the water tariff or which owns tube well/ diesel pumping set or uses ground water for any purpose including domestic use by exploiting groundwater;

(o) **"Member"** Means a member of the Authority;

(p) **"Notified area"** means a unit / Nyay panchayat falling under over exploited or critical category;

(q) **"Prescribed Authority"** means any authority at various levels within the water resources management system that has been duly authorized by the Authority to determine and declare, on an annual or seasonal basis, the quota or amount of water available within a system for use as un allocated percentage of the entitlements duly issued by the Authority;

(r) **"Project level entity"** means a group of all water user entities from a common supply source within a water resources project;

(s) **"Quota"** means a volumetric quantity of water made available to an entitlement holder, which is derived by multiplying an entitlement by annual or seasonal allocation percentage;

(t) **"Regulation"** means regulation made by the Authority under this Act;

(u) **"Selection Committee"** means a selection committee constituted under section 6 of Chapter-II;

(v) **"Sewerage"** means a system of collection of waste water from a community from its houses, institutions, industry and public places; the pumping treatment and disposal of such waste water, its effluent sludge, gas and other end products;

(w) **"State Water Policy"** means the State Water Policy Execute to this Act;

(x) **"Tariff"** Means a specific charge or set of charges applicable for providing water supply;

(y) **"Utility"** means any water user entity such as agency, company, person, director etc. responsible for the management, treatment and distribution of water agriculture, horticulture, domestic, industries municipal / rural water supplies and for any other purpose and may be notified by the authority.

(aa) **"User of ground water"** means any person/persons and the person or persons an institution including a company or an establishment, whether government or private who or which own or use groundwater for any purpose including domestic use made either on a personal or community basis.

(ab)**"water"** Means all surface and sub surface water accruing in river or any part of a river, stream, lake, natural collection of water in aquifers or natural drainage channel, water recycled after treatment of sewage and industrial waste etc., that is to say water supplies and sewerage, irrigation and canals, drainage and embankment, water storage and water power and ground water or, water in all states (Solid, liquid or vapour) in storage or in flux within hydrologic cycle, that is necessary for a sustainable quality of life, as well as for sustaining the natural environment;

(ac) **"Water User Entity"** means any water user entity including water users Association, utility, Industrial, users, Association or any other group or entitlement;

(ad) **"Water availability"** means availability of surface or ground water for use for a period or season for year which in rechargeable;

(ae) **"Water Quality"** means accessed water which is safe for consumption for the purpose for which it is supplied as per norms set by Bureau of Indian Standards.

CHAPTER – II
Establishment of Authority

Establishment of Authority

3. (1) The State Government shall with three months from the date of commencement of this Act, by notification, establish a Authority to be known as the Uttarakhand Water Management and Regulatory Authority to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Authority shall be a body corporate.

(3) The head office of the Authority shall be at Dehradun.

(4) The authority shall consist of a Chairperson and such number of Members not exceeding four as may be notified by the State Government.

(5) The Chairperson and the Member of the Authority shall be appointed by the State Government on the recommendation of the Selection Committee referred to in Section 6.

Qualification for appointment of Chairperson and other member of Authority

4. (1) Only such person shall be appointed as the Chairperson or Member who possesses the qualifications mentiond hereunder:-

(a) ***Chairperson*** – The Chairperson shall be a person having bachelor's degree of any recognized university / institute with administrative experience of not less than 25 years, and must have held the post of Chief Secretary of the Sate Government or the Secretary of the Government of India or any post equivalent thereto and has experience of department related to water resources.

(b) ***Members -***

(i) One Member shall be expert in the field of water resources having bachelor's degree in Civil/ Mechanical Engineering of any recognized university/institute and having experience of at least 25 years of service in the field of irrigation /water

resources and having served as chief engineer or any post equivalent thereto;

(ii) One Member shall be an expert from the field of water resources economy having master's degree in Economics / Commerce / MBA with Finance / Accountancy. He must have at least 25 years of experience, having worked as a professor in a reputed institute of management or as a whole time director in a financial institution specified under section 4-A of the Companies Act, 1956 or as a whole time director in a scheduled bank within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 or have a substantial professional background of finance, regulation, tariff structuring etc.;

(iii) One Member shall be an expert in the field of drinking water and waste water management having bachelor's degree in Civil/Mechanical/ Public Health/ Environmental Engineering of any recognized University / Institute. He must have at least 25 years experience having worked in the field of urban/ rural water supply / drainage / sewerage and wastage water management and having served as chief engineer or any post equivalent thereto with particular experience in ground water development for water supply and large water treatment plants;

(iv) One Member shall be an expert in the field of agriculture / land management having bachelor's degree in agriculture / agriculture engineering of any recognized University/ Institute. He must have at least 25 years experience having worked in the field of agriculture / industry / teaching / research.

(2) The Chairperson or any Member of the Authority shall not hold any other office during his / her tenure as such.

(3) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Authority.

(4) Where the chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness, death, resignation or any other cause or where any

vacancy occurs in the office of the chairperson, any Member nominated by the Chairperson on his behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson any member chosen by the member present among themselves, shall exercise the power and discharge the duties of Chairperson.

Disqualification for being the Chairperson or a Member

5. A person shall be disqualified for appointment as the Chairperson or a member, if he :-

(a) has been adjudged as insolvent ; or

(b) has become physically or mentally incapable of acting : or

(c) has been convicted and sentenced to imprisonment for any offence involving moral turpitude; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect his functions as the Chairperson or a Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest ; or

(f) is a Member of Parliament, or of any State Legislature or any local authority or is a candidate for election thereto; or

(g) is an active member of a political party or holds a post therein.

Constitution and function of the selection committee

6. (1) The State Government shall, by notification, constitute a selection committee, for the purposes of making appointments of the Chairperson and Members under sub-section (5) of section 3. The Committee shall consist of :-

(a) the Chief Secretary, Government of Uttarakhand	ex officio president
(b) the Chairman, Central Water Commission or his nominee who shall be the member of the Central Water Commission	ex officio Member
(c) the Principal Secretary to the Government of Uttarakhand in the Finance Department	ex officio Member
(d) the Director, Indian Institute of Management, Kashipur	ex officio Member
(e) the Principal Secretary to the Government of Uttarakhand in Irrigation Department	ex-officio Member-Secretary.

(2) The State Government shall with in one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal and six months before the superannuation or end of tenure of the Chairperson of the Member, make a reference to the selection committee for filing up to vacancy.

(3) The Selection committee while making selection of the Chairperson and the Members, shall have due regard to performance record, ability, integrity, character qualifications and experience of the person proposed to be selected as Chairperson or other Member as the case may be.

(4) The Selection committee shall finalize the selection of the Member within two months from the date on which the reference is made to it.

(5) The Selection committee shall recommend a panel of three names for every vacancy referred to it.

(6) A person who is considered for selection as the Chairperson or a Member shall inform to the selection committee:-

(a) of any office, employment or consultancy agreement or arrangement which the person or his relative has in his own name or in any firm, association of persons or body corporate, owned or otherwise controlled by any of them carrying on any of the following business:

(i) diversion of surface water, distribution of water, extraction of ground water or supply of water;

(ii) manufacture, sale, lease, hire or otherwise supply of or dealing in machinery, plant equipment, apparatus or fitting related to water industry;

(iii) any entity providing any professional services to any of the businesses referred to in clause (i) and (ii) above.

(b) Such other details and information as may be prescribed by the selection committee.

(7) The details received from the persons referred to in sub-section (6) shall be placed for consideration of the selection committee at the time of selection and recommendation of the person for appointment as the Chairperson or a Member.

(8) The Chairperson and each Member shall, before taking charge of the office divest him self from the interest in the businesses mentioned in sub-section (6) as a condition of his or her appointment.

(9) If a person to be appointed as the Chairperson or a Member holds any office under the State or Central Government or any public sector corporation or any Government body or is gainfully employed or engaged in service by any other person Government authorities, public or private sector or otherwise, he shall submit his resignation or take voluntary retirement form that service before joining the authority.

(10) So long as a person holds the office of the Chairperson or a Member for a period of two years after he ceases to be the Chairperson or a Member for any reason whatsoever, he shall not acquire, hold or maintain, directly or indirectly any office, employment or consultancy arrangement or any financial interest in any of the businesses mentioned in sub-section (6) and if he acquires any such interest involuntarily or by way of succession or testamentary disposition he will divest himself of the interest within a period of three months of such interest being acquired.

(11) Before recommending any person, the selection committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest as referred to in sub-section (6) which is likely to affect prejudicially his function as the Chairperson or a Member.

(12) All decisions of the Selection committee shall be by a majority.

(13) The procedure for selection and appointment of the Chairperson and the Member shall be laid down by the State Government.

(14) No appointment of the Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the selection committee.

Terms of Office and conditions of service of the Chairperson

7. (1) The Chairperson of a Member shall hold office from a term of five years from the date he enters upon his office :

Provided that, the Chairperson or a Member may be re-appointed but not for more than two consecutive terms :

Provided further that the Chairperson or a Member shall not hold office after he has attained the age of seventy years.

(2) The Chairperson or any Member may relinquish his office at any time, by giving in writing to the Governor a notice of one month or may be removed from his office.

(3) The Chairperson shall, before entering upon his office, make and subscribe and oath of office and secrecy before the Government or any other person nominated by him and every member before the Chairperson in such form as may be prescribed.

(4) The salary and allowance payable to, and other terms and conditions of the Chairperson or the Members shall be such as may be prescribed.

(5) The salary, allowances and other conditions of services of the Chairperson and the Member shall not be varied to their disadvantage after appointment.

(6) The Chairperson or a Member Ceasing to hold office as such shall not --

(a) Be eligible for further employment under the state Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office except with the permission of State Government;

(b) Accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases hold such offices; and

(c) Represent any person before the Authority in any manner.

***Explanation** :- for the purposes of the sub- section --*

(i) "Employment under the State Government" includes employment under a local body or any other authority within the territory of India under the control of any State Government or under any corporation or society owned or controlled by State Government.

(ii) "Commercial Employment" means employment in any Capacity under or agency of, a person engaged in commercial, industrial or financial business in the water resources related industry and includes also a director of a company or partner of a firm and it also includes setting up practice either independently or as partner of a firm or as an advisor or a consultant.

Removal of the Chairperson or a member

8. (1) Subject to the provision of sub-section (2), Chairperson or any Member shall only be removed from his office by the State Government on the ground of proved misconduct after the panel or three enquiry officers appointed from the officers equivalent to Secretary of Government for this purpose on reference being made to them by the State Government, has on inquiry, held by the panel and in consultation with the leader of opposition reported that the Chairperson or the Member ought on any such ground to be removed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by order, remove a member from his office if he becomes subject to any disqualification specified in section 5.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Chairperson or a Member shall be removed from his office on the ground specified in clause (b), clause (d) or clause (e) of section 5 unless the enquiry officer on a reference being made to him this behalf by the State Government, his on an inquiry, held by him in accordance with the procedure specified in this behalf by the Chief Justice or such judge, reported that the member ought on such grounds to be removed.

(4) The State Government shall pass suitable order in accordance with the report referred to in sub-section (1) or sub–section (3), as the case may be, and the final decision of the State Government shall be communicated to the Chairperson or other Member concerned within a period of 30 days a receipt of such report.

Power of State Government to depute officers and employees to the Authority and Their Service conditions

9. (1) The Authority may appoint a Secretary to exercise and perform such duties, under the control of the Chairperson, as may be specified by regulation.

(2) The Authority shall obtain necessary inputs from State Water Resources Agency/ State water Resources Data and Analysis Center the would work as technical secretariat to Authority. The Authority may appoint such number of officers and employees as in considers necessary for the performance of its duties and functions. Determination of numbers of officers and employees in authority after the approvel state Goverenment.

(3) The Salaries and allowance payable to and other conditions of service of the Secretary, officers and other employees of the Authority shall be such as may be determined by State Government from time to time.

(4) Save as otherwise provided in the section, the terms and conditions of services of employees on deputation to the Authority shall not be less advantageous than those applicable to them immediately before deputation and shall not be varied to their disadvantage.

(5) The State Government shall appoint any Government officer or employee on deputation to the Authority on the proposal made by the authority in this regard.

(6) The period of deputation of any such officer or employee to the Authority shall be three years except when any such person is required to be repatriated on the grounds, such as promotion, reversion, termination or superannuation or any other reason of deputation, he shall stand repatriated to service under the State Government :

Provided that during the period of such deputation all matter relating to the pay, leave, allowances, retirement, pension, provident fund and other conditions of service of the employee on deputation shall be regulated by the Uttarakhand Civil Services Rules or such other rules as may, from time to time, be made by the State Government.

Proceedings of the Authority

10. (1) The Authority shall meet at such time and place within the State as the Chairperson may think fit and shall observe such rules of procedure in transaction of business at its meetings (including the quorum at its meetings) as may the determined by regulations.

(2) The Chairperson or if he is unable to attend a meeting of the Authority, a member nominated by the Chairperson in this behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson, any Member chosen by the Members present from among themselves, shall preside at the Meeting.

(3) All matters which come up before the Authority shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson or person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

(4) All decisions, directions and orders of the Authority shall be in writing supported by reason and shall be available for inspection by any person and copies of the same shall also be made available in such manner as the authority may determine.

(5) The Authority shall regulate its own procedure.

(6) All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Authority duly authorized by the Secretary in this behalf.

Vacancies etc not to invalidate act or proceeding

11. No act or proceedings of the Authority shall be questioned or shall be invalidate merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Authority.

CHAPTER-III

Powers, Functions and Duties of the Authority

Powers and function of the Authority

12. The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions; namely :-

(a) to approve the Integrated State Water Plan/ Basin Plans developed by State Water Resources Agency to ensure sustainable management of water resources within the parameters laid down by State Water Policy as amended from time to time;

(b) to determine the allocation and distribution of entitlements for various category of use of water at utility, project level and also between various water user entity within the parameters laid down by the State Water Policy on such terms and conditions as may be prescribed for such a distribution;

(c) to lay down the criteria for modification in the entitlements for the diversion, storage and use of surface and ground water of the State

(d) to review and accord clearance to new water resources projects proposed at the river basin/ sub-basin level by the concerned entity ensuring that the proposal is in conformity with Integrated State Water Plan specially with respect to the water allocation of each entity, that is economically, hydro–geologically and environmentally viable;

(e) to establish a system of enforcement, monitoring and measurement of the entitlements for the use of water to ensure that the actual use of water, both in quantity and type of use are in compliance with the entitlements as issued by the Authority;

(f) to monitor conservation of environment and facilitate the development of a framework for the preservation and protection of the quality of surface and ground water resources as per establishment norms and standards;

(g) to withdraw the entitlement or take any action as deemed necessary in case any water user entity pollutes or causes to pollute any surface or ground water source of water and thereby infringes the maintenance of established norms and standards for water quality;

(h) to impose penalty on any organization or agency, whether Government or private, any individual or a group of individuals who change, alters or cause to change or later the status of any surface or ground water resources without the specific sanction or approval of the Authority;

(i) to periodically review the entitlement as and when considered necessary;

(j) to register and monitor bulk water entitlement by the authority or its duly authorized representatives;

(k) to promote competition, efficiency and economy in the activities of the water and waste water sector to minimize wastage of water;

(l) to promote better water management techniques;

(m) to enforce rain water harvesting to augment ground water recharge.

(n) to fix and regulate a water tariff system and charges for the use of water after due consideration to all costs including administration, operation maintenance, depreciation and subsidies;

(o) to review and revise the tariff/ water charges periodically;

(p) to determine and fix the rate of cess to be charged from owner of lands benefited by flood protection and drainage works implemented under new projects;

(q) to enforce the decision or orders issued under this Act by a suitable agency authorized by the Authority or empower to any existing agency for this purpose;

(r) to aid and advise the Sate Government on any matter referred to the Authority by the State Government.

General Policies of the Authority

13. (1) The Authority shall work within the framework of the State Water Policy.

(2) The Authority shall promote and monitor sound water conservation and management practices throughout the State in accordance with State Water Policy through the implementing agencies in the State.

(3) The Authority shall support and aid the enhancement and preservation of water quality within the State in close coordination with the relevant State agencies.

Power of the Authority

14. (1) The Authority shall, while performing its adjudicatory functions under this Act, have all the powers of a civil court trying a suit in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring this discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court;

(e) issuing Authority for the examination of witnesses and documents; and

(f) such other matters any may be prescribed.

(2) Any person or class of persons or agency or utility shall :-

(a) Produce before an officer of the Authority such books accounts or other document relating to any matter concerning water transference, distribution and consumption of water, which may be required by the Authority for the purpose of this Act; and

(b) Furnish to any officer so specified such information in his possession, power or control as may be required by the Authority for the purposes of discharge of its functions under this Act.

(3) Where, during any inquiry or proceeding under this Act, the Authority has any ground to believe that any books or documents of, or relating to, any unit or person to which such inquiry is being make or proceeding relates, or which the owner of such unit may be

required to produce in such inquiry or proceeding, are being, or may be, destroyed, by a written order, authorize any officer of the Authority to exercise powers of entry, search and seizure as may be exercised by an Inspector under section 240 and 240-A of the Companies Act, 1956.

(4) The Authority may, in the discharge of its functions, consult persons or group of person affected or likely to be affected by the decisions of the Authority.

(5) Every person to whom a notice may be issued this Act by the Authority shall furnish such information, details, books accounts and other documents, as may be specified in such notice.

Powers to issue direction

15. The State Government may from time to time issue direction not inconsistent with this Act.

Water supply and overall performance standards

16. The Authority may from time to time-

(a) Determine such standards of overall performance in respect of water supply services and promotion of the efficient use of water by consumers, as in its opinion, are economical and ought to be achieved by such licensees and different standards may be determined for different licensees; and

(b) Publish the standards so determined in such form and in such manner as the Authority may consider proper.

Information with respect to levels of performance

17. (1) On or before such date in each year as may be specified by the Authority, every licensee shall furnish to the Authority the level of performance achieved by the licensee for each standard determined under section 16.

(2) The Authority may publish for general information the information received by it under sub-section (1), which it feels necessary.

Restriction on disclosure of information

18. (1) Save as otherwise provided in this Act, information in respect of any person or business which, has been furnished to, or obtained by, the Authority under without the consent of the concerned person or the person in –charge of the business :

Provided that such information my be disclosed to the Central Government, the State Government, Accountant General of the State or a person who requires it in connection with the discharge of statutory duties.

(2) The restriction contained in sub-section (1) shall not apply to the information related to tariff.

(3) Information in possession of the Authority shall be kept confidential and may be furnished to nay person or agency only with the permission of the Authority.

CHAPTER-IV

Arbitration, offences and penalties

Arbitration 19. Any dispute or difference arising between licensees or user in respect of matters specified in sub-section (2) of section 35 may be referred to the Authority for arbitration. The Authority may proceed to act as Arbitrator or nominate an Arbitrator to adjudicate and settle the dispute. The Arbitrator shall follow the Procedure as Laid down in Arbitration and Conciliation Act, 1996.

Offences and penalties 20. (1) Whoever :-

(a) In contravention of the provision of this Act, the rules or the regulations made under this Act, engaged in the business of distribution or supply of water; or

(b) Refuses or fails without reasonable causes to comply with, or give effect to any direction, order or requirement made under this Act;

shall be guilty of an offence under this Act.

(2) Any person guilty of an offence under clause (a) of sub-section (1) shall punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to rupees one Lakh or both and a further penalty of rupees twenty thousand for each day after the first offence during which the offence continues.

(3) Any person guilty of an offence under clause (b) of sub-section (1) shall punished with imprisonment which may extend to Six Months or with fine which may extend to rupees one Lakh or both and a further penalty which may extend to rupees five thousand for each day after first offence during which the offence continues.

Offence by user

21. (1) A person make offence under this Act, if user, than in the time of offence together the user for the dealing of his business, the incharge of user and responsible for that, the every person shall also be culprit for offence and shall be responsible for the proceeding against him and shall be punishable accordingly :

Provided that any perons shall not be punishable if he proved that such offence shall be made without his knowledge or he take reasonable quick action for the prevent of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-sectoin (1), where any offence made by user under this Act and it is proved that the offence made with the consent or the silence acceptance by any Director, Manager, Secretary or other Officer or such offence made with the reason of their negligence, than such Director, Manager, Secretary or Officer shall also be deemed culprit of offence and shall be responsible for the proceeding against him and shall be punishable accordingly.

Compounding of Offences

22. (1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing, accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act, a sum of money not exceeding rupees One Lakh by way of composition fee and compound the offence.

(2) On the composition of any offence under sub-section (1), no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such offence, and if any proceedings in respect of the offence have already been instituted against him in any court, the composition shall have the effect of the acquittal.

Cognizance of offences

23. (1) No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing of an officer authorized in this behalf by the Authority.

(2) An offence under this Act shall be trial by a court not lower in rank other than that of the Additional Chief Judicial Magistrate who has jurisdiction.

Penalties and proceedings not to prejudice other actions

24. All proceeding and actins against a person under this Act shall be in addition to and not in derogation of any proceeding or action under any other law for the time being in fore.

CHAPTER –V

Accounts, Audit and Report

State Government to the Authority

25. (1) The state Government shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Authority by way of grant such sums of money as the State Government my think fit for being utilized for the purposes of this Act :

Provided that expenditure in respect of Salaries and allowance of the Chairperson and other Members shall be charges on the Consolidate Fund of the State.

(2) The Authority may spend such sums as it think fit for performing the function under this Act, and such sums shall be treated as expenditure of the Authority.

(3) The fees or fine or moneys thus received in Authority are kept in the public account of the state.

Accounts and audit

26. (1) The Authority shall maintain proper account and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such from as may be prescribed by the Government in consultation with Accountant General.

(2) The Accounts of the Authority shall be audited by the Accountant General, Uttarakhand, or any officer authorized by him in this behalf at such intervals as may be specified by Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Accountant General.

(3) The Copies of annual Statement of accounts of the Authority together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government.

(4) A Copy of the annual Statement of accounts of the Authority together with the audit report thereon received by the State Government under sub-section (3) shall be laid before each house of the State Legislature.

Annual report of the authority 27. (1) The authority shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and copies thereof shall be forwarded to the State Government.

(2) The State Government shall cause the annual report to be laid, as soon as may be, after it is received, before the State Legislature.

CHAPTER VI

Miscellaneous

Amount recoverable as arrears of land revenue 28. Any amount payable under this Act, except an amount payable under this Chapter may, on a Certificate of the Secretary of the Authority, be recovered as arrears of land revenue.

Application of fines and Charges 29. The Authority while imposing any fine or charges under this Act may direct that the whole or any part thereof shall be applied in or towards payment of the cost of the proceedings to a party.

Protection of Action of good faith 30. No suit, prosecution of other Legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provision of this Act or the rules or the regulations or the orders made thereunder.

Bar of Jurisdiction 31. No order of proceeding made under this Act shall be appeal0able except as provided in this Act and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the authority or any other authority is empowered by or under this Act to decide.

Proceeding before the authority to be judicial proceedings 32. All proceeding before the authority shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code and the Authority shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the code of Criminal Procedures, 1973.

Chairperson, Member and Staff of the Authority to be public servants

33. The Chairperson, Members and other employee of the Authority shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Power to make rules

34. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In Particular, and without prejudice to he generality of the power contained in sub-section (1), such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the procedure to be adopted by the selection committee for selection and appointment of the Chairperson and the Members;

(b) the form and manner in which the accounts of the authority shall be maintained; and

(c) any other matter which is required to be or may be prescribed.

Power to make regulation

35. (1) The Authority may make regulation not inconsistent with this Act or the rules make there under for the efficient performance of its functions under this Act.

(2) In particular, and without prejudice to he generality of the provision of sub section (1), such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the Administration of the affairs of the in the exercise of its functions;

(b) determination of the function to be assigned to licensees and other persons involved in the purchase, distribution or supply of water, the manner in which such function shall be discharged and the procedures to be adopted and enforced in regard to the operation and maintenance of water supply system;

(c) the procedure and the conditions for the grant of licenses, the particulars and documents to be made available by the persons applying for licenses, the standards and general conditions subject to which the license shall be granted, the grant of exemption form the requirement of a license, the revocation and amendment of licenses and the effect thereof and all matters related thereto;

(d) the duties, power, rights and obligation of licensees;

(e) the particulars to be furnished, and the form and manner for furnishing information, particulars, documents, accounts and books by the persons involved in the water distribution and supply of use of water.

(f) the terms and conditions and the procedure for determination of revenues and tariffs;

(g) the determination of the standard of performance of the persons involved in the distribution of supply of water in the State;

(h) the fees and charges payable by the licensee and the consumer of water.

(i) the amount of fine and penalties to be imposed for violation of the provisions of this Act including the method and manner of imposition of fines and penalties and collection of the same;

(j) any other which is required to be, or may be, provided by regulations.

Power to remove difficulties

36. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the Government may, by order published in the Government Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before House of the State Legislature.

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 विधायी / 281–2013–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई०

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 104/XXXVI(3)/2016/12(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2016)

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2013) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हों:–

सक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

1 **(1)** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इस अधिनियम के लागू होनें से पूर्व उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत कृत कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही मानी जायेगी।

मूल अधिनियम में संशोधन

2 (1) मूल अधिनियम में जहां–जहां शब्द **"प्राधिकरण"** आया है के स्थान पर शब्द **"आयोग"** रख दिया जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

3 मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (छ:) के स्थान पर निम्नवत उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:–

2(छ:). **"आयोग"** से उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग अभिप्रेत है,

धारा 3 का संशोधन

4 मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) एवं उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराऐं प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:–

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक आयोग की स्थापना करेगी, जिसे उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(4) आयोग में एक अध्यक्ष और दो से अनाधिक संख्या में सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, होंगे।

धारा 4 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा(1)(ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी;अर्थात्:–

(1)(ख) आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हे इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित कठिनाई का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने इन कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की हो ;

परन्तु यह कि ऐसे सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

धारा 6 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी;अर्थात्:–

6(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – पदेन अध्यक्ष

(ख) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या उसका नाम–निर्देशिती, जो केन्द्रीय जल आयोग का सदस्य होगा – पदेन सदस्य

(ग) यथास्थिति प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – पदेन सदस्य

(घ) निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर – पदेन सदस्य

(ङ) यथास्थिति प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड सरकार – पदेन सदस्य सचिव

धारा 9 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात् :–

(2) आयोग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करेगा। आयोग ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जैसा कि वह अपने कर्तव्यों व कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे। प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा।

धारा 12 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी;अर्थात्:–

(क) राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अन्तर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/द्रोणी योजनाओं को अनुमोदित करना;

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 104/XXXVI(3)/2016/12(1)/2016
Dated Dehradun, March 31, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Water Management and Regulatory (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 03 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2016.

THE UTTARAKHAND WATER MANAGEMENT AND REGULATORY (Amendment) ACT, 2016

(Act No. 03 of 2016)

An

Act

Further to amend the Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013 (Uttarakhand Act No. 24 of 2013)

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty seventh year of the Republic of India as follows:

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Water Management and Regulatory(Amendment)Act, 2016.
   (2) It shall come into force at once.
   (3) Any action taken under the Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013 (herein after referred as principal Act) shall be deemed action taken under this Act.

Amendment in the Principal act

2. (1) Wherever the word "Authority" occurs in the Principal Act, the word shall be substituted as "commission"

Amendment of Section 2

3. In place of sub section(g) of section 2 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

2(g) **"Commission"** means the Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission.

Amendment of Section 3

4. In place of sub section(1) and (4) of section 3 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(1) The State Government shall by notification, establish a Commission within three months from the date of commencement of this Act, to be known as the Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission who shall exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to him under this Act.

(4) The Commission shall consist with a Chairperson and such number of Members not exceeding two as may be notified by the State Government.

Amendment of Section 4

5. In place of sub section(1)b of section 4 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(1)(b) The Member of the Commission shall be persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of, or experience in, or have shown capacity in dealing with, problems relation to engineering, finance, commerce, economics, law or management ;

Provided that at least one Member shall be from amongst the member who are either holding or have held a post not below the rank of Chief Engineer or equivalent and having qualification and at least 25 years of experience in the field of Hydropower Engineering.

Amendment of Section 6

6. In place of sub section(1) of section 6 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(1) The State Government shall, by notification, constitute a selection committee, for the purposes of making appointments of the Chairman and Members under sub-section (5) of section 3. The Committee shall consist of:-

(a) Chief Secretary, Government of Uttarakhand – Ex Officio Chairman

(b) Chairman, Central Water Commission or his nominee who shall be the member of the Central Water Commission– Ex Officio Member

(c) Principal Secretary/Secretary, as may be Finance, Government of Uttarakhand – Ex Officio Member

(d) Director, Indian Institute of Management, Kashipur- Ex Officio Member

(e) Principal Secretary/Secretary, as may be Irrigation, Government of Uttarakhand – Ex Officio Member Secretary

Amendment of Section 9

7. In place of sub section(2) of section 9 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(2) The Commission shall obtain necessary information from the concerned Departments of the State Government. The Commission may appoint such number of officers and Employees as in considers necessary for the performance of its duties and functions. Determination of numbers of officers and employees in Commission after the approval of the state Government.

Amendment of Section 12

8. In place of sub section(a) of section 12 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(A) to approve the Integrated State Water Plan/ Basin Plans developed by Departments of the State Government to ensure sustainable management of water resources within the parameters laid down by State Water Policy as amended from time to time;

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारण

राज्य में **"उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक अधिनियम, 2013"** राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिए राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभांवित भू-स्वामियों के बाढ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर निर्धारित करने के लिए उत्तराखण्ड जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए **"उत्तराखण्ड जल संसाधन एवं प्रबन्धन और नियामक अधिनियम–2013** अधिनियमित किया गया था, उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाईयाँ प्रशासनिक स्तर पर महसूस की जा रही है।

2– इन कठिनाईयों के निराकरण के लिए प्रस्तुत विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

3– उक्त विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।

यशपाल आर्य,
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 विधायी / 190–2016–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

सिंचाई अनुभाग–2

संख्या–   /II–2016/17 (19)/2015

देहरादून : दिनांक 21 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक अधिनियम, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2013) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सरकारी अधिसूचना संख्या–1737/II–2016/17(19)/2015 दिनांक 08, जुलाई, 2016 में स्थापित उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करते है। चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन– पदेन अध्यक्ष,
2. अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग या उसका नाम–निर्देशिती, जो केन्द्रीय जल आयोग का सदस्य होगा– पदेन सदस्य,
3. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन– पदेन सदस्य,
4. निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान काशीपुर– पदेन सदस्य,
5. सचिव/प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन– पदेन सदस्य सचिव,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव

पृ0संख्या–1844/II–2016/17(19)/2015 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली 110066
5. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमांऊ, पौडी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान काशीपुर।
9. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग–4 में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।